उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(पूर्व नाम उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लि०)

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

सातवाँ वार्षिक लेखा प्रतिवेदन

2010 - 2011

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०

पंजीकृत कार्यालय

शक्ति भवन

14-अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001

निदेशक मण्डल

(दिनाँक 31 मार्च, 2011)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

श्री नवनीत सहगल

निदेशक

श्री एस॰के॰ अग्रवाल
श्री पी॰जे॰ ठक्कर
श्री गणेश सिंह
श्री नील रतन कुमार

कम्पनी सचिव

सुश्री आभा सेठी टण्डन
(अंशकालिक)

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

बैंकर्स :

भारतीय स्टेट बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ बैंक
इलाहाबाद बैंक
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
देना बैंक

पंजीकृत कार्यालय

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग
लखनऊ–226 001

विषय सूची

क्र॰ सं॰	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन	1 - 6
2.	तुलन–पत्र	7
3.	लाभ–हानि खाता	8
4.	लेखीय अनुसूचियाँ (1-20)	9 - 19
5.	महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ	20 - 21
6.	लेखों पर टिप्पणियाँ	22 - 26
7.	तुलनपत्र सार एवं कम्पनी के सामान्य व्यवसाय का पार्श्वदृश्य	27
8.	रोकड़ प्रवाह विवरण	28-29
9.	वैधानिक सम्प्रेक्षक का सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन	30 - 36
10.	वैधानिक सम्प्रेक्षा के प्रतिवेदन पर प्रबंधन का उत्तर	37 - 46
11.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखों पर टिप्पणियाँ	47 - 49
12.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर	50 - 52

निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की कार्य निष्पादन रिपोर्ट तथा वर्ष के सम्प्रेक्षित लेखा विवरणों, सम्प्रेक्षको का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा की समीक्षा के साथ सातवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम :

समीक्षाधीन अवधि के कम्पनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार है :–

(रु. करोड़ में)

विवरण	31–03–2011 को समाप्त वर्ष को	31–03–2010 को समाप्त वर्ष को
आय :		
ऊर्जा के चक्रीय पारेषण से आय	869.95	762.26
अन्य आय	33.52	30.14
योग (अ)	**903.47**	**792.40**
व्यय :		
परिचालकीय व्यय :–		
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	98.06	83.77
कर्मचारी लागत	277.72	256.60
प्रशासन, सामान्य एवं अन्य व्यय	10.58	8.26
योग (ब)	**386.36**	**348.63**
ह्रास, ब्याज एवं प्राविधान के पूर्व परिचालकीय लाभ/(हानि) स = (अ–ब)	517.11	443.77
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	200.78	178.13
ह्रास	326.20	301.94
अशोध्य ऋण एवं प्राविधान	26.34	9.82
योग (द)	**553.32**	**489.89**
पूर्वावधि आय/(व्यय) एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)	(36.21)	(46.12)
जोड़ा पूर्वावधि आय/(व्यय)	33.80	13.51
प्रारम्भिक व्यय	–	–
कर के पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	(2.41)	(32.61)
फ्रिन्ज लाभ कर के लिए प्राविधान	–	–
कर के पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	(2.41)	(32.61)

निदेशक मण्डल द्वारा कोष में ले जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि, यदि कोई हो :

इस तथ्य के परिपेक्ष में कि समीक्षाधीन वर्ष के अन्त तक कम्पनी में संचित हानियाँ हैं तथा विनियोजन हेतु कोई आधिक्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी कोष में अन्तरण हेतु कोई धनराशि प्रस्तावित नही है।

लाभांशः

चूँकि समीक्षाधीन वर्ष मे बाँटने हेतु कोई लाभ उपलब्ध नही है इसलिए निदेशक मण्डल किसी लाभांश की संस्तुति नही कर सका।

परिचालन :

उ.प्र. सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या ट्रान्सको अन्तरण योजना संख्या 2974 (1)/24–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के अनुसार कम्पनी दिनांक 01–04–2007 से ऊर्जा के पारेषण/चक्रीय पारेषण के कार्य में कार्यरत है।

भौतिक उपलब्धियाँ :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न पारेषण कार्य पूर्ण किये गये :–

(अ) लाइनें :

(i)	400 के.वी. लाइनें	0.000 सर्किट कि.मी.
(ii)	220 के.वी. लाइनें	391.442 सर्किट कि.मी.
(iii)	132 के.वी. लाइनें	445.714 सर्किट कि.मी.

(ब)(i) उप–संस्थान :

वोल्टेज	नये चालू		क्षमता वृद्धि	
	उप–संस्थानों की संख्या	क्षमता (एम.वी.ए.)	उप–संस्थानों की संख्या	क्षमता (एम.वी.ए.)
400 के.वी.	–	–	–	–
220 के.वी.	6	1240	17	1030
132 के.वी.	9	340	66	1479

(ब)(ii) कैपिसिटर्स :

1.	132 के.वी. – 40 एम.वी.ए.आर.
2.	33 के.वी. – 260 एम.वी.ए.आर.

(ब)(iii) बे ऊर्जीकृत :

1.	400 के.वी.	– शून्य
2.	220 के.वी.	– 1 अदद
3.	132 के.वी.	– 6 अदद
4.	33 के.वी.	– 36 अदद

वित्तीय वर्ष के समापन पर जिससे यह तुलन पत्र सम्बन्धित है एवं प्रतिवेदन की तिथि के मध्य महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं, जिससे कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुयी हो :–

वित्तीय वर्ष के समापन एवं इस प्रतिवेदन के दिनांक के मध्य प्रतिबद्धताओं में कोई परिवर्तन नही हुआ है।

कम्पनी व्यवसाय, कम्पनी की सहायकी या उनके द्वारा किये जा रहे व्यवसाय तथा सामान्यतः व्यवसाय की उन श्रेणियों में जिनमें कम्पनी का कोई हित लाभ है, वित्तीय वर्ष में हुये परिवर्तनों का विवरणः

ऐसे कोई परिवर्तन नही हुए।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, एवं विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय :

विद्युत अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ई) सपठित कम्पनी (निदेशक मंडल के प्रतिवेदन में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के प्राविधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय सम्बधी सूचना सलंग्नक में दी गयी है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

कर्मचारियों का विवरण :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अभिप्राय से पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति, जिसका पारिश्रमिक प्रति वर्ष रु. 60 लाख (अथवा रु. 5 लाख प्रतिमाह) से अधिक था, नहीं की गयी।

निदेशक मण्डल :

विचाराधीन वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल का संरचनात्मक ढांचा निम्नानुसार रहा :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यावधि (वित्तीय वर्ष **2010–11** के लिए)	
			नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्त / समाप्त तिथि **31-03-2011** को
1	श्री नवनीत सहगल	अध्यक्ष	07–01–2009	12-09-2010
2	श्री नवनीत सहगल	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	13–09–2010	कार्यरत
3	श्री नरेन्द्र भूषण	प्रबन्ध निदेशक	16–03–2009	12-09-2010
4	श्री एस.के. अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	09–01–2009	कार्यरत
5	श्री रमा रमन	निदेशक	22–09–2008	02-04-2010
6	श्री पी.जे. ठक्कर	निदेशक	19–05–2010	कार्यरत
7	श्री गणेश सिंह	निदेशक	16–12–2008	कार्यरत
8	श्री नील रतन कुमार	निदेशक	06–10–2010	कार्यरत

निदेशक मण्डल, कम्पनी के साथ निदेशको के सम्बन्धों हेतु उनके द्वारा की गयी बहुमूल्य सेवाओं के लिए आभार प्रकट करता है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) की आवश्यकता के अनुरूप यह पुष्टि की जाती है कि :–

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में सिवाय कुछ मामलों के जिसके लिए लेखों से सम्बंन्धित टिप्पणियों में स्पष्ट किया गया है, लागू लेखीय मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ii) सिवाय उन परिवर्तनों के, जिनका उल्लेख अलग से किया गया है, निदेशकों ने समुचित लेखीय नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा निर्णय एवं अनुमान करते समय इस बात का ध्यान रखा

गया है कि वे उचित एवं विवेक पूर्ण हों ताकि दिनांक 31 मार्च, 2011 को कम्पनी के क्रिया–कलापों की स्थिति तथा कथित अवधि के लाभ एवं हानि की यथार्थ एवं उचित स्थिति दर्शायें।

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्राविधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं धोखा–धड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु यथेष्ट लेखा–अभिलेखों के रख–रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गयी है। अग्रेतर, अंशधारकों को यह सूचित करना है कि विभिन्न कमियाँ जोकि प्रबन्धन द्वारा पायी गयीं तथा वे भी जो कि वैधानिक सम्प्रेक्षकों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा इंगित की गयीं, उन्हें आने वाले वर्षों में लेखीकृत कर लिया जायगा।

(iv) दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे संस्था के निरन्तर चलते रहने के आधार पर तैयार किये गये हैं।

सहायक कम्पनियाँ :

इस कम्पनी की कोई सहायक नहीं है।

सम्प्रेक्षा समिति :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अनुसार निदेशक मण्डल ने निम्न सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक सम्प्रेक्षा समिति का गठन किया है :–

(i)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.	अध्यक्ष
(ii)	संयुक्त सचिव (वित्त) उ.प्र. शासन एवं अंशकालिक निदेशक उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.	सदस्य
(iii)	महाप्रबन्धक (टी. एण्ड डी.), आर.ई.सी. एवं अंशकालिक निदेशक उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.	सदस्य
(iv)	निदेशक (वित्त) उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.	प्रस्तुत कर्त्ता
(v)	कम्पनी सचिव	समन्वयक

सम्प्रेक्षा समिति ने विधिवत अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है।

सम्प्रेक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए मेसर्स आर.एम. लाल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स को कम्पनी के वैधानिक सम्प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। वैधानिक सम्प्रेक्षकों ने कम्पनी के दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों का सम्प्रेक्षण किया। सम्प्रेक्षकों का प्रतिवेदन एवं उनकी टिप्पणियों पर दिये गये उत्तर इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षाः

कम्पनी के दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अनुसरण में की गयी टिप्पणियाँ इस प्रतिवेदन में संलग्न हैं। टिप्पणियाँ एवं प्रबन्धन के उत्तर भी संलग्न हैं।

औद्योगिक सम्बंध

समीक्षाधीन अवधि में औद्योगिक सम्बन्ध शान्तिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहे।

आभार :

उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, केन्द्रीय विद्युत उपयोगिताओं, पी.एफ.सी., आर.ई.सी., बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से निरन्तर प्राप्त हुए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल, वैधानिक सम्प्रेक्षकों मेसर्स आर.एम. लाल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, विभिन्न शाखा सम्प्रेक्षकों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को भी उनके द्वारा दिये गये रचनात्मक सुझावों एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल कम्पनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा कामगारों द्वारा की गयी सेवाओं के लिए आभार व्यक्त करता है।

दिनांक : 19-9-2013

स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से

कामरान रिजवी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–1

कम्पनी (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अन्तर्गत प्रकटन :

अ–ऊर्जा संरक्षण : **लागू नहीं**

(उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. ऐसी औद्योगिक इकाइयों की सूची से आवरित नहीं होता, जिसके लिए अनुसूची में वांछित सूचना देना अनिवार्य हो)

ब–प्रौद्योगिकी आमेलन :

(अ) अनुसंधान एवं विकास (आर० एण्ड डी०)

वर्ष के दौरान आर० एण्ड डी० में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ।

(ब) तकनीकी आमेलन, अनुकूलता एवं नवीनीकरण :

1. तकनीकी आमेलन, अनुकूलता एवं नवीनीकरण के सापेक्ष किये गये प्रयासों का संक्षिप्त सार निम्नानुसार है।

   उप संस्थानों को स्वचालित करने की प्रणाली (एस.ए.एस.) 220 के.वी. एवं 132 के.वी. उप संस्थानों को सरल प्रकृति बनाना, जिसके लिये परिकल्पना एवं अभियान्त्रिकी का अन्तिमीकरण किया गया और जिसे निविदा नमूना में समाविष्ट किया गया है।

2. **उपर्युक्त प्रयासों के फलस्वरूप निम्न लाभ प्राप्त हुए :**

   उपर्युक्त प्रणाली से अप्रत्यक्ष अनुश्रवण की सुविधा एवं उपसंस्थानों का नियंत्रण प्राप्त होने के साथ–साथ मानवशक्ति की आवश्यकता में कमी आयेगी।

3. **आयातित प्रौद्योगिकी :**

   विद्युत उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनों में बहुलक विद्युत उष्मारोधी प्रणाली आरम्भ की गयी एवं यह पाया गया कि कोहरे की स्थिति में लाइन ट्रिपिंग में उल्लेखनीय कमी आई। विकसित देशों में यह प्रौद्योगिकी विश्वव्यापी रूप से प्रयोग की जा रही है।

(स) विदेशी विनिमय उर्पाजन एवं व्यय :

(i) विदेशी विनिमय उर्पाजन : शून्य

(ii) विदेशी मुद्रा व्यय : शून्य

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से
कामरान रिजवी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2011 का आर्थिक चिट्ठा

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	अनुसूची सं॰	31.03.2011 को		31.03.2010 को	
निधियों के स्रोत					
अंशधारियों की निधियां					
अंश पूंजी	(1)	4335500000		4335500000	
अंश आवेदन धनराशि	(1अ)	35999052000		30999052000	
आरक्षित कोष एवं आधिक्य	(2)	4089666054	44424218054	3896413807	39230965807
ऋण निधियां	(3)		34634087241		28217431617
योग			**79058305295**		**67448397424**
निधियों का प्रयोग					
स्थायी परिसम्पत्तियां					
सकल ब्लाक	(4)	75129503917		70857997074	
घटाया : संचित ह्रास		30682888393		27576359122	
शुद्ध ब्लाक		44446615524		43281637952	
पूँजीगत प्रगतिशील कार्य	(5)	21283290307	65729905831	11382808797	54664446749
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम					
भण्डार एवं कलपुर्जे	(6)	4738745189		3890238201	
विविध देनदार	(7)	11324858818		6133314735	
नकद एवं बैंक अवशेष	(8)	3532057245		6255075147	
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	(9)	213082786		166565967	
ऋण एवं अग्रिम	(10)	385927991		337039970	
		20194672029		16782234020	
घटाया–चालू दायित्व एवं प्राविधान	(11)	17228635200		14336473959	2445760061
			2966036829		
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां			10362362635		10338190614
लाभ एवं हानि खाता (डेबिट अवशेष)					
महत्वपूर्ण लेखीय नीतियां एवं					
लेखों पर टिप्पणियां	(21)				
अनुसूची 1 से 21 लेखों का अभिन्न अंग हैं					
योग			**79058305295**		**67448397424**

आभा सेठी टण्डन	**ए॰के॰ गुप्ता**	**एस॰के॰ अग्रवाल**	**आलोक कुमार**
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि की हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

आर॰पी॰ तिवारी

साझीदार

स॰सं॰ 071448

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 03–04–2013

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि खाता

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	अनुसूची सं॰	31.03.2011 को	31.03.2010 को
आय			
विद्युत के चक्रीय प्रभारों एवं सम्बंधित क्रिया–कलापों से आय	(12)	8699459374	7622580721
अन्य आय	(13)	335172385	301373686
योग		**9034631759**	**7923954407**
व्यय			
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	(14)	980585892	837722654
कर्मचारी लागत	(15)	2777224274	2565998056
प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय	(16)	105799198	82616303
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	(17)	2007806669	1781290432
ह्रास	(18)	3261980035	3019368804
अशोध्य ऋण एवं प्राविधान	(19)	263424265	98238449
योग		**9396820333**	**8385234698**
पूर्वावधि आय/(व्यय) एवं कर से पूर्व लाभ/(हानि)		(362188574)	(461280291)
पूर्वावधि आय/व्यय (शुद्ध)	(20)	338016553	135164386
कर से पूर्व लाभ/(हानि)		(24172021)	(326115905)
कर के पश्चात लाभ/(हानि)		(24172021)	(326115905)
संचयी हानि अग्रानीत		(10338190614)	(10012074709)
तुलनपत्र में अग्रेनीत हानि		(10362362635)	(10338190614)
प्रति अंश आय (ई.पी.एस.)			
गणक		(24172021)	(326115905)
भाजक		4335500	3621250
अंश का न्यूनतम मूल्य		Rs. 1000/- each	Rs. 1000/- each
प्रारम्भिक ई.पी.एस.		(5.58)	(90.06)
गणक		(24172021)	(326115905)
भाजक		37501219	31186275
अवमिश्रित ई.पी.एस.		(0.64)	(10.46)

महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ (21)
अनुसूची 1 से 21 लेखा का अभिन्न अंग है।

आभा सेठी टण्डन	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	आलोक कुमार
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि की हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आर॰पी॰ तिवारी
साझीदार
स॰सं॰ 071448

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 03–04–2013

अंशपूँजी

अनुसूची–1

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	**31.03.2011** को	**31.03.2010** को
1. अधिकृत पूँजी		
प्रत्येक रु॰ 1000/–के 100000000	100000000000	100000000000
पूर्ण प्रदत्त समताअंश		
2. निर्गत अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी		
प्रत्येक रु॰ 1000/– के 4335500	4335500000	4335500000
पूर्ण प्रदत्त समताअंश		
योग	**4335500000**	**4335500000**

अंश आवेदन धनराशि

अनुसूची–1 अ

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	**31.03.2011** को	**31.03.2010** को
1. अंश आवेदन धनराशि		
आवंटन हेतु लम्बित	35999052000	30999052000
योग	**35999052000**	**30999052000**

आरक्षित कोष एवं आधिक्य

अनुसूची–2

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	**31.03.2010** को	परिवर्धन	घटाव	**31.03.2011** को
अ–पूँजीगत कोष				
पूँजीगत कार्यों के लिए उपभोक्ताओं का अंशदान	2089182807	304856193	111603946	2282435054
ब–पुनर्संरचना खाता	1807231000	0	0	1807231000
योग	**3896413807**	**304856193**	**111603946**	**4089666054**

आभा सेठी टण्डन	**ए॰के॰ गुप्ता**	**एस॰के॰ अग्रवाल**	**आलोक कुमार**
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

ऋण निधियां

अनुसूची–3

(धनराशि रु॰ में)

	विवरण		**31.03.2011** को		**31.03.2010** को
(अ)	**संरक्षित ऋण**				
	<u>सावधि ऋण</u>				
	ऊर्जा वित्त निगम लि. (पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि.)				
	(ऊ.वि.नि. योजनाओं के अन्तर्गत लाइन एवं		8746889044		6196927559
	उप–संस्थानों के रेहन के सापेक्ष संरक्षित)				
	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.				
	(रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि.)				
	(ग्रा.वि.नि. योजनाओं के अन्तर्गत लाइन		9250299545		4055691832
	एवं उप–संस्थानों के रेहन पर संरक्षित				
(ब)	**असंरक्षित ऋण**				
	<u>सावधि ऋण</u>				
	उ.प्र. सरकार				
	ऋण	997146000		997146000	
	प्रोदभूत एवं देय ब्याज	4592823032	5589969032	4426105774	5423251774
	<u>वित्तीय संस्थान</u>				
	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.				
	(रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि.)				
	(उ.प्र. शासन द्वारा प्रत्याभूतित)				
	ऋण	4143896770		4470390448	
	प्रोदभूत एवं देय ब्याज	2326869913	6470766683	2326869913	6797260361
	ऊर्जा वित्त निगम लि. (पी.एफ.सी.)				
	विविध संस्थान		4062557937		4607131906
	नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड		179925000		272350000
	(उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित)				
	हुडको		333680000		864818185
	(उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित)				
	कुल योग		**34634087241**		**28217431617**

आभा सेठी टण्डन	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	आलोक कुमार
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

अनुसूची-4 स्थायी परिसम्पत्तियाँ

अनुसूची–4

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	सकल ब्लाक				ह्रास				शुद्ध ब्लाक	
	31.3.2010 को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	31.03.2011 को	31.3.2010 को	परिवर्धन	घटाव / समायोजन	31.3.2011 को	31.3.2011 को	31.3.2010 को
भूमि एवं भूमि अधिकार										
(i) पूर्ण अधिकार के अन्तर्गत भूमि स्वामित्व	270410979	41661364	0	312072343	0	0	0	0	312072343	270410979
(ii) पट्टे के अन्तर्गत भूमि स्वामित्व	532054	0	0	532054	0	0	0	0	532054	532054
भवन	2239971056	245031659	0	2485002715	771536371	72837633	0	844374004	1640628711	1468434685
अन्य जानपदीय कार्य	428449752	4492073	0	432941825	158225350	7467071	0	165692421	267249404	270224402
संयंत्र एवं मशीनरी	36683187126	3315808844	712316040	39286679930	12376418180	1779532427	292589218	13863361389	25423318541	24306768946
लाइन, केबिल नेटवर्क आदि	30665909691	1263860245	5859067	31923910869	14016547988	1470981519	3801209	15483728298	16440182571	16649361703
वाहन	36230852	424335	840712	35814475	22927311	4096238	670172	26353377	9461098	13303541
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	12059378	1587446	28327	13618497	5153041	777252	399	5929894	7688603	6906337
कार्यालय उपकरण	21755262	1311391	290833	22775820	11435196	3611444	0	15046640	7729180	10320066
अन्य परिसम्पतियाँ	499490924	116664465	0	616155389	214115685	64286685	0	278402370	337753019	285375239
कुल योग	**70857997074**	**4990841822**	**719334979**	**75129503917**	**27576359122**	**3403590269**	**297060998**	**30682888393**	**44446615524**	**43281637952**
पूर्व वर्ष	**64229313967**	**7292436010**	**663752903**	**70857997074**	**24765865731**	**3175514449**	**365021058**	**27576359122**	**43281637952**	**39463448236**

आभा सेठी टण्डन
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)

ए॰के॰ गुप्ता
महाप्रबन्धक (लेखा)

एस॰के॰ अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

आलोक कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रगतिशील पूँजीगत कार्य

अनुसूची–5

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2011 को		31.03.2010 को
प्रगतिशील पूँजीगत कार्य*		10400568704		5709781097
पूँजीकरण हेतु लम्बित राजस्व व्यय**				
पूर्व वर्ष तक	536655000		510675000	
वर्ष के दौरान वृद्धि	786487000		536655000	
उपयोग	**1323142000**		**1047330000**	
घटाया–वर्ष के दौरान पूँजीकरण	414508258	908633742	510675000	536655000
उप योग (अ)		**11309202446**		**6246436097**
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम		10371090538		5275770331
घटाया–पूंजीगत कार्यो के सापेक्ष संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्राविधान		397002677		139397631
उप योग (ब)		**9974087861**		**5136372700**
कुल योग		**21283290307**		**11382808797**

टिप्पणी : *इसमें अधिष्ठान, प्रसाशनिक एवं सामान्य लागत सम्मिलित है।

**इसमें कार्य से सम्बन्धित उधारी लागत सम्मिलित है।

भण्डार सामग्री एवं कल पुर्जे

अनुसूची–6

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2011 को		31.03.2010 को
भण्डार सामग्री–पूंजीगत कार्य	4830879148		3656907263	
भण्डार सामग्री–ओ. एण्ड एम.	223933064		580933324	
अन्य सामग्री	89430849	5144243061	58022401	4295862988
उप–योग		**5144243061**		**4295862988**
घटाया –अप्रचलित/अनुप्रयोज्य/कमी/भण्डार की हानि के लिए प्राविधान		405497872		405624787
योग		**4738745189**		**3890238201**

टिप्पणी : अन्य भण्डार सामग्री में निर्माणकर्ताओं को निर्गत सामग्री, निष्प्रयोज्य सामग्री, रद्दी सामान, कार्यशाला को मरम्मत हेतु भेजे गये परिवर्तकों, जाँच प्रक्रिया में लम्बित आधिक्य/कमी तथा पारगमन में सामग्री सम्मिलित है।

आभा सेठी टण्डन	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	आलोक कुमार
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

विविध देनदार

अनुसूची–7
(धनराशि रु॰ में)

विवरण		**31.03.2011** को		**31.03.2010** को
विविध देनदार–पारेषण प्रभार एवं अन्य सम्बंधित		11502430118		6310886035
क्रिया–कलापों से सम्बन्धित अन्य प्रभार				
छः माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण				
संरक्षित एवं शोध्य विचारित	0		0	
असंरक्षित एवं शोध्य विचारित	7666479880		2865591332	
संदिग्ध विचारित	0	7666479880	0	2865591332
अन्य ऋण :				
असंरक्षित एवं शोध्य विचारित		3835950238		3445294703
		11502430118		6310886035
घटाया : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्राविधान		177571300		177571300
योग		**11324858818**		**6133314735**

रोकड़ एवं बैंक अवशेष

अनुसूची–8
(धनराशि रु॰ में)

विवरण		**31.03.2011** को		**31.03.2010** को
नकद रोकड				
हस्तगत रोकड़ (टिकटों सहित)	578265		504055	
अनुसूचित बैंको में अवशेष :				
चालू एवं अन्य खातों में	2299091926		2100584427	
सावधि जमा खातों में	1232387054	3532057245	4153986665	6255075147
योग		**3532057245**		**6255075147**

अन्य चालू परिसम्पत्तियां

अनुसूची–9
(धनराशि रु॰ में)

विवरण		**31.03.2011** को		**31.03.2010** को
प्रोद्भूत आय किन्तु प्राप्य नही		718919		23018671
प्राप्ययोग्य धनराशियाँ :				
उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि. से	92937035		38046356	
उ.प्र.ज.वि.नि.लि. से	2034239	94971274	2027004	40073360
कर्मचारियो से	39124342		37721880	
अन्य	109869946		95818420	
योग	**148994288**		**133540300**	
घटाया–संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्राविधान	31693699	117300589	30148300	103392000
पूर्वदत्त व्यय		92004		81936
स्थायी परिसम्पत्तियों की चोरी जाँच लम्बित	1045672		1045672	
घटाया–अनुमानित हानियों के लिए प्राविधान	1045672	0	1045672	0
योग		**213082786**		**166565967**

आभा सेठी टण्डन	**ए॰के॰ गुप्ता**	**एस॰के॰ अग्रवाल**	**आलोक कुमार**
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

ऋण एवं अग्रिम

अनुसूची–10
(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2011 को		31.03.2010 को
अ–ऋण/अग्रिमों (संरक्षित/शोध्य विचारित)				
कर्मचारी (अग्रिमों सहित)		1476119		1311387
(वेतन से समायोज्य/वसूली योग्य)				
अग्रिम (असंरक्षित)				
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों	391701342		348963140	
घटाया–संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्राविधान	39170134	352531208	34896314	314066826
स्रोत पर कर कटौती		19749413		9490506
अग्रिम फ्रिन्ज बेनीफिट कर		12171251		12171251
योग		**385927991**		**337039970**

चालू दायित्व एवं प्राविधान

अनुसूची–11
(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2011 को		31.03.2010 को
चालू दायित्व				
पूंजीगत आपूर्तियों/कार्यो के लिए दायित्व		6201833542		5069340850
ओ.एण्ड एम. आपूर्तियों/कार्यो के लिए दायित्व		379011269		366739903
कर्मचारियों से सम्बंधित दायित्व		1768097127		1876796409
आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य से निक्षेप एवं रोकी गयी धनराशि		1205307864		581407390
विद्युतीकरण कार्यो के लिये जमा		5847085600		4604848611
निम्न को शुद्ध देय				
उ.प्र.पा.का.लि.	151190925		290137974	
केस्को	17416643		15962778	
दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.	34322066		31328143	
मध्यांचल वि.वि.नि.लि.	92353694		82681056	
पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.	16048404		14863157	
पूर्वांचल वि.वि.नि.लि.	40295579	351627311	39118557	474091665
विविध दायित्व		54424731		23138397
व्ययों के लिये दायित्व		47050491		60102104
अन्तर इकाई हस्तान्तरण		181085141		229208047
उ.प्र. विद्युत क्षेत्र कर्मचारी ट्रस्ट के सापेक्ष दायित्व				
भविष्य निधि दायित्व	369917362		333224905	
पेन्शन एवं ग्रेच्युटी दायित्व	486385886	856303248	440114352	773339257
सी.पी.एफ. दायित्व		22930071		11578824
उधारी पर प्रोद्भूत ब्याज किन्तु देय नहीं		301694846		253698543
प्राविधान				
फ्रिन्ज बेनीफिट कर		12183959		12183959
योग		**17228635200**		**14336473959**

आभा सेठी टण्डन	**ए॰के॰ गुप्ता**	**एस॰के॰ अग्रवाल**	**आलोक कुमार**
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

विद्युत पारेषण एवं सम्बंधित क्रिया–कलापों से राजस्व

अनुसूची–12

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2011 को	31.03.2010 को
पारेषण प्रभार	7977278418	7285246877
मुक्त उपगम प्रभार	708435757	332434844
एस.एल.डी.सी. प्रभार	13745199	4899000
योग	**8699459374**	**7622580721**

अन्य आय

अनुसूची–13

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2011 को		31.03.2010 को
निम्न से ब्याज :				
कर्मचारियों को ऋण	133357		131121	
सावधि जमा	109944511		80902456	
अन्य	85823	110163691	4807	81038384
ठेकेदारों/आपूतिकर्ताओं से आय		169953492		200334656
कर्मचारियों से किराया		556348		493577
विविध प्राप्तियाँ		54498854		16955456
भण्डार के भौतिक सत्यापन पर पाया गया आधिक्य		0		2551613
योग		**335172385**		**301373686**

मरम्मत एवं अनुरक्षण

अनुसूची–14

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		31.03.2011 को		31.03.2010 को
संयंत्र एवं मशीनरी		838037787		697011685
भवन		51512677		44667910
अन्य जानपदीय कार्य		20147		750
लाइन, केबिल नेटवर्क, आदि		90185839		95847545
वाहन व्यय	30898487		27304403	
घटाया–विभिन्न पूँजीगत एवं परिचालन	30898487	0	27304403	0
एवं अनुरक्षण कार्यो/प्रशासनिक व्ययों को हस्तान्तरित				
फर्नीचर एवं फिक्चर्स		41210		43985
कार्यालय उपकरण		788232		150779
योग		**980585892**		**837722654**

आभा सेठी टण्डन	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	आलोक कुमार
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

कर्मचारी लागत

अनुसूची–15

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2011 को	31.03.2010 को
वेतन एवं भत्ते	1932885375	1895778972
मंहगाई भत्ता	731229369	476901068
अन्य भत्ते	132544732	135342053
बोनस/अनुग्रह	18621262	162452
चिकित्सा व्यय (प्रतिपूर्ति)	25473277	30486648
अवकाश यात्रा सहायता	1001372	27333
उपार्जित अवकाश नकदीकरण	242330905	157359388
क्षतिपूर्ति	258373	1421153
कर्मचारी कल्याण व्यय	2965218	2727479
पेन्शन एवं ग्रेच्युटी	417801004	387133065
अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभ	36989535	29523955
ट्रस्ट पर व्यय	2582857	2605026
उप योग	**3544683279**	**3119468592**
घटायें– पूँजीकृत व्यय	767459005	553470536
योग	**2777224274**	**2565998056**

आभा सेठी टण्डन	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	आलोक कुमार
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय

अनुसूची–16

(धनराशि रु॰ में)

विवरण		**31.03.2011** को		**31.03.2010** को
किराया		2125920		2274427
दर एवं कर		560425		161501
बीमा		2372388		671287
संसूचना प्रभार		17319726		17865017
विधिक प्रभार		13386439		6618553
वैधानिक सम्प्रेक्षक :				
सम्प्रेक्षा शुल्क	666182		727980	
यात्रा व्यय	566826	1233008	553638	1281618
परामर्शी शुल्क		1328959		682980
तकनीकी शुल्क एवं व्यवसायिक प्रभार		6236749		3948064
यात्रा एवं आवागमन व्यय		28002204		29752110
छपाई एवं लेखन सामग्री		6294067		5575288
विज्ञापन व्यय		12814335		12525795
विद्युत प्रभार		4494294		4429930
जल प्रभार		22822		26369
मनोरंजन		271226		246145
ट्रस्ट पर व्यय		146602		119030
विविध व्यय		49484407		25961192
उप योग		**146093571**		**112139306**
घटाया : पूंजीकृत व्यय		40419373		29532823
उप योग		**105674198**		**82606483**
अन्य व्यय				
क्षतिपूर्ति (कर्मचारियों के अतिरिक्त)		125000		0
अन्य हानियां		0		9820
योग		**105799198**		**82616303**

आभा सेठी टण्डन	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	आलोक कुमार
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

ब्याज एवं वित्तीय प्रभार

अनुसूची–17

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2011 को		31.03.2010 को	
ऋणों पर ब्याज				
उ.प्र. सरकार	166717258		166717258	
पी.एफ.सी.	1374680922		1203924693	
हुडको	31655638		154050532	
एन.सी.आर.पी.बी.	18347742		24586399	
आर.ई.सी.	1163607501	2755009061	721221834	2270500716
प्रत्याभूति प्रभार		37787247		45549141
बैंक प्रभार		1413499		1895575
उपभोक्ताओं को छूट		83862		0
उप योग		**2794293669**		**2317945432**
घटाया : पूंजीकृत ब्याज		786487000		536655000
सकल योग		**2007806669**		**1781290432**

ह्रास

अनुसूची–18

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	31.03.2011 को		31.03.2010 को	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर ह्रास :				
भवन	72881155		60389474	
अन्य जानपदीय कार्य	7419457		7021391	
संयंत्र एवं मशीनरी	1778466429		1599631440	
लाइन, केबिल नेटवर्क आदि	1470785426		1414847024	
वाहन	3830886		3866116	
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	777252		729695	
कार्यालय उपकरण	3611444		3284898	
अन्य सम्पत्तियाँ	29164997		15524350	
	3366937046	3366937046	3105294388	3105294388
घटाया–पूँजीगत कार्यो के सापेक्ष उपभोक्ताओं के अंशदान से अर्जित परिसम्पत्तियों पर भारित की जाने वाली ह्रास के अनुपात में परिशोधित धनराशि		104957011		85925584
सकल योग		**3261980035**		**3019368804**

आभा सेठी टण्डन	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	आलोक कुमार
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

अशोध्य ऋण एवं प्राविधान

अनुसूची–19

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	**31.03.2011** को	**31.03.2010** को
प्राविधान		
संदिग्ध अग्रिमों (आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों)	4273820	0
संदिग्ध अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ (प्राप्य)	1545399	5464367
पूँजीगत कार्यो के सापेक्ष संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्राविधान	257605046	92774082
योग	**263424265**	**98238449**

शुद्ध पूर्वावधि आय/व्यय

अनुसूची–20

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	**31.03.2011** को	**31.03.2010** को
अ–आय		
अ) आय (विद्युत पारेषण)	38122388	211232475
ब) अन्य अधिक प्राविधान	350847051	32757623
उप योग	**388969439**	**243990098**
ब–व्यय		
अ) परि. एवं अनु. व्यय	64774	-3314269
ब) कर्मचारी लागत	21869998	44242522
स) ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	-730555	0
द) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	-257618	706909
य) ह्रास का कम/अधिक प्राविधान	30006287	67190550
उप योग	**50952886**	**108825712**
शुद्ध धनराशि	**-338016553**	**-135164386**

आभा सेठी टण्डन	ए॰के॰ गुप्ता	एस॰के॰ अग्रवाल	आलोक कुमार
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व नाम उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड)
अनुसूची संख्या–21
अ–महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ :

1. सामान्य :

(अ) वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार बनाये गये हैं। फिर भी इन लेखों को बनाने में जहां कही कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्राविधानों से विचलन है, विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखे) नियमावली, 1985 के तदनुसार प्राविधानों को अंगीकृत किया गया है।

(ब) लेखे ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर तैयार किये गये हैं जब तक अन्यथा वर्णित न हो, लेखांकन इस परिकल्पना के आधार पर किया गया है कि संस्था निरन्तर चलती रहेगी।

(स) सहायिकी, अनुदान, बीमा एवं अन्य दावे, सीमा शुल्क की वापसी, आयकर एवं व्यापार कर पर ब्याज का लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है। कर्मचारियों को दिये गये ऋणों पर ब्याज का लेखांकन, मूलधन की पूर्ण वसूली के उपरान्त, प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

2. स्थायी परिसम्पत्तियाँ :

(अ) स्थायी परिसम्पत्तियों को संचयी ह्रास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है।

(ब) चालू करने की तिथि तक, स्थायी परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति एवं स्थापना से सम्बंधित समस्त लागत पूँजीकृत की जाती है।

(स) उपभोक्ताओं प्राप्त पूंजीगत सम्पत्तियों के अंशदान के सापेक्ष प्राप्त धनराशि को प्रारम्भ में पूंजीगत कोष के रूप में माना जाता है एवं तत्पश्चात सम्बन्धित परिसम्पत्तियों पर भारित ह्रास के अनुपात में परिशोधित किया जाता है।

(द) चालू हो चुकी परिसम्पत्तियों के मामले में जहाँ ठेकेदारों के बिलों का अन्तिम निपटारा होना अभी शेष है, पूँजीकरण इस प्रतिबंध के साथ किया जाता है कि आवश्यक समायोजन, अन्तिम निपटारे के वर्ष में कर लिया जायेगा।

(य) कार्यशील इकाइयों की बाहुल्यता के साथ–साथ इकाई विशेष के स्तर पर कार्यो की विविधता के कारण कर्मचारी लागत, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों का पूंजीगत कार्यो पर हुये कुल व्यय की धनराशि के आधार पर निम्नानुसार पूँजीकृत किया जाता है :–

पूँजीगत पारेषण कार्यो के सम्बन्ध में–

(i) 132 एवं 220 के.वी. उप–सस्थानों एवं लाइनों पर 10% की दर से।

(ii) 400 के.वी. उप–संस्थानों एवं लाइनों पर 8% की दर से, और।

(iii) 765 के.वी. उप संस्थानों एवं लाइनों पर 6% की दर से।
निक्षेप कार्यो के मामले में 15% की दर और अन्य पूँजीगत कार्यो पर 11% की दर से।

(र) पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माणकाल के मध्य उधारी लागत को वर्ष के प्रगतिशील पूँजीगत कार्यो के औसत अवशेषों के आधार पर बांट दिया जाता है। विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखा) नियमावली, 1985 में दी गयी गणनाविधि के अनुसार पूँजीगत कार्यो पर आरोपणीय उधारी लागत की धनराशि निर्धारित करके पूँजीकृत की जाती है।

3. ह्रास :

(अ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–XIV में निर्दिष्ट दरों पर ह्रास 'सीधी रेखा पद्धति' के आधार पर भारित किया जाता है।

(ब) वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों में हुयी वृद्धि/कमी पर ह्रास यथानुपात आधार पर भारित किया जाता है।

4. भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जे :

(अ) भण्डार एवं कलपुर्जे का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

(ब) रद्दी इस्पात का मूल्यांकन वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है एवं रद्दी इस्पात के अतिरिक्त रद्दी सामान का लेखों में लेखांकन जैसे और जब बेचा जाता है, के आधार पर किया जाता है।

(स) वर्ष के अन्त तक भण्डार सामग्री में पायी गयी कोई कमी/आधिक्य को ''सामग्री की कमी/आधिक्य जांच के लिए लम्बित'' के रूप में जांच के निर्णय होने तक दर्शाया जाता है।

5. राजस्व मान्यता

(अ) लेखों में पारेषण राजस्व को ऊर्जा के अन्तर राज्यीय पारेषण के लिये उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर समाविष्ट किया जाता है। उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित पारेषण दर सूची एवं वास्तविक दर सूची में सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर ट्रू–अप में प्रेषित अन्तर को, ट्रू–अप याचिका पर, उ.प्र.वि.नि.आ. के निर्णय के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

(ब) अन्तर राज्यीय पारेषण के मामले में ऊर्जा के पारेषण/मुक्त उपगम से हुए राजस्व को मान्यता एवं लेखांकन एन.आर.एल.डी.सी. द्वारा अनुमोदित दर सूची के आधार पर किया जाता है।

6. सभी पूर्वावधि से सम्बन्धित आय एवं व्यय को चालू अवधि में एक विशिष्ट मद के रूप में दर्शाया जाता है।

7. कर्मचारियों के लाभ :

(अ) कर्मचारियों के पेन्शन एवं ग्रेच्युटी से सम्बन्धित दायित्वों का निर्धारण बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है तथा लेखांकन प्रोदभूत आधार पर किया गया है।

(ब) अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा हित लाभ एवं अवकाश यात्रा सुविधा का लेखांकन वर्ष में दावों की प्राप्ति तथा अनुमोदन के आधार पर किया जाता है।

8. प्राविधान, आकस्मिक दायित्वों एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां :

(अ) प्राविधानों का लेखांकन जहां तक सम्भव हो चालू दायित्वों को निपटाने हेतु अनुमानित व्ययों के आधार पर किया जाता है।

(ब) आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन लेखों पर टिप्पणियों में किया गया है।

(स) आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ, जो वसूली न होने योग्य आय से सम्बन्धित हैं, को मान्यता नही दी गयी है।

आभा सेठी टण्डन	**ए०के० गुप्ता**	**एस०के० अग्रवाल**	**आलोक कुमार**
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि की हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन

कृते आर०एम० लाल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

एफ०आर०एन०नं०. 000932 सी

आर०पी० तिवारी

साझीदार

स०सं० 071448

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 03–04–2013

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(पूर्वनाम उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड)
अनुसूची–21

ब. संलग्न लेखों पर टिप्पणियाँ जो 31 मार्च, 2011 के वार्षिक चिट्ठे एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते का अंग है :–

1. (अ) उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं. 293 दिनांक 16–05–2006 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड का गठन हुआ जब पूर्ववर्ती उ.प्र. विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (दिनांक 31.05.2004 को निगमित) के नाम एवं उद्देश्य प्रस्तर में पार्षद सीमा नियम के तहत दिनांक 13.07.2006 को परिवर्तित किया गया।

   (ब) राज्य सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. 2974 (1) 24–पी–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के माध्यम से यह अधिसूचित किया कि अनन्तिम अन्तरण योजना ट्रान्समिशन से सम्बधित कार्य–कलापों को उ.प्र.पा.का. लि. से उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से बनायी गयी है और उसमें उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. के व्यवसाय का कार्यक्षेत्र परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व व अन्य प्रासंगिक एवं अनुवर्ती मामले दिये गये हैं। अन्तरण योजना के अन्तर्गत प्रभावी दिनांक 1–04–2007 निश्चित की गयी थी, यानि जिस दिनांक को उ.प्र.पा.ट्रा.का लि. ने पारेषण एवं सम्बन्धित कार्य हेतु एक अलग संस्था के रूप में क्रिया–कलाप करना प्रारम्भ किया। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के अनुसार उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. एक राज्य पारेषण उपयोगिता है।

   अधिसूचना सं. 2974/XXIV–पी–2–2010 दिनांक दिसम्बर 23, 2010 के द्वारा राज्य सरकार ने यह भी अधिसूचित किया कि पारेषण उपक्रम को अनन्तिम रूप से उनसे सम्बन्धित कर्मचारियों एवं उसने सम्बंधित कार्यवाही को भी अन्तरित कर दिया जाए। इसके लिए योजना का अन्तिमीकरण प्रक्रियाधीन है।

   (स) वर्ष 2007–08 में पुनर्संरचना खाते की धनराशि रु. 180.72 करोड़ (पूर्व वर्ष रु॰ 180.72 करोड़) कोष एवं आधिक्य मद के अन्तर्गत दर्शायी गयी। यह दिनांक 01–04–2007 के इकाईवार अवशेषों एवं अनन्तिम अन्तरण योजना में दर्शाये गये संकलित अवशेषों के मध्य अन्तर से सम्बन्धित है, योजना का अन्तिमीकरण प्रक्रियाधीन है।

2. अंश आवेदन धनराशि (आवंटन हेतु लम्बित) रु॰ 3599.91 करोड़ (पूर्व वर्ष में रु. 3099.91 करोड़) में अनन्तिम अन्तरण योजना के अन्तर्गत हस्तांरित अंशपूँजी रु॰ 1263.97 करोड़ एवं अंश आवेदन धनराशि रु॰ 579 करोड़ सम्मिलित है। शेष धनराशि रु॰ 1756.94 करोड़ समता अंश के सापेक्ष प्राप्त हुयी थी।

3. (अ) विद्युत के पारेषण से राजस्व से सम्बन्धित देनदारों के लिये अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्राविधान नही किया गया है।

   (ब) ऋणों एवं अग्रिमों/'प्रगतिशील पूँजीगत कार्य शीर्ष के अन्तर्गत आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों के दर्शाये गये अवशेषों पर संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिये प्राविधान 10% की दर से किया गया है। यद्यपि पूँजीगत कार्यों हेतु ठेकेदारों को निर्गत सामग्री की धनराशि के लिए कोई प्राविधान नही किया गया।

   (स) अन्य चालू परिसम्पत्तियों के शीर्ष में दर्शाये गये ''कर्मचारियों'' एवं ''अन्य'' के विरुद्ध संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्राविधान 10% की दर से किया गया है, सिवाय इटलू वाराणसी में रु॰ 1.86 करोड़ के, जहाँ पूर्व वर्ष में 100% प्राविधान विद्यमान है।

4. **अन्तर इकाई लेनदेनः** अनुसूची–11 में दर्शाये गये रु. 18.11 करोड़ (क्रेडिट) अन्तर इकाई लेनदेनों के अवशेष (पूर्व वर्ष क्रेडिट अवशेष रु. 22.92 करोड़) का समाधान प्रक्रिया में है और समाधान का प्रभाव, यदि कोई हुआ को अगले वर्षों के लेखों में लेखांकित किया जायगा।

5 (अ) जहां कही हटायी गयी/वापिस ली गयी और निष्प्रयोज्य स्थायी परिसम्पत्तियों का ऐतिहासिक मूल्य उपलब्ध नही है, ऐसी परिसम्पत्तियों के अनुमानित मूल्य एवं उन पर ह्रास की धनराशि को समायोजित एवं लेखीकृत किया गया है।

(ब) परिसम्पतियों पर ह्रास का प्राविधान कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है। सम्पति के परिवर्धन/घटाव पर ह्रास का प्राविधान अनुपातिक आधार पर किया गया है।

(स) परिसम्पत्तियों के स्वामित्व (उपर्युक्त अनन्तिम अन्तरण योजना के अन्तर्गत हस्तान्तरित) कारपोरेशन (उ.प्र.पा. ट्रा.का.लि.) के पक्ष में अन्तरण करने की औपचारिकताएँ प्रक्रियाधीन है।

6. समग्र आधार पर चालू सम्पत्तियों के ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में कम से कम उस धनराशि के समान होती है, जिस पर आर्थिक चिट्ठा मे वे दर्शायी गई हैं।

7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्यमों (एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत) को देय धनराशि अभिनिश्चित नहीं किया जा सका एवं सम्बंधित पर्याप्त सूचनाओं के अभाव में उन पर देय ब्याज को प्राविधानित नही किया जा सका। फिर भी कम्पनी इस सम्बंध में पूर्ण सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

8. (अ) इस वर्ष के लिए लेखीय नीति को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा की अन्तर राज्यीय पारेषण से सम्बंधित पारेषण राजस्व का लेखांकन उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर किया गया है यथा रु. 0.1260/प्रति के.डब्ल्यू.एच.।

(ब) मुक्त उपगम के सम्बन्ध में, लेखीय नीति संख्या 5 (ब) को और आगे स्पष्ट किया गया है किन्तु स्पष्टीकरण के कारण लेखों पर कोई वित्तीय प्रभाव नही है।

9. एस.एल.डी.सी. के प्रथक कार्य के एक भाग के रूप में, कम्पनी एस.एल.डी.सी. के प्रभारों के लिये एक अलग बैंक खाते का रख–रखाव कर रही है। अनुसूची सं. 12 में प्रथक से दर्शाये गये एस.एल.डी.सी. से सम्बंधित प्रभारों के ब्यौरे नीचे दिये गये है :–

धनराशि रु. में

	2010-11	**2009-10**
वार्षिक प्रभार	49,00,000.00	4,00,000.00
आवेदन शुल्क/सहमति शुल्क	6,35,000.00	9,75,000.00
एस.एल.डी.सी. प्रभार	82,10,199.00	35,24,000.00
	1,37,45,199.00	48,99,000.00

10. विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय–

(अ) आय–शून्य (पूर्व वर्ष शून्य)

(ब) विदेशी मुद्रा में यात्रा व्यय

(i) 2475 (यू.एस.डी.)

(ii) 12264 (आर.एम.बी.)

(पूर्व वर्ष शून्य)

11. निदेशकों से प्राप्य ऋण शून्य थे (पूर्व वर्ष शून्य)

12. निदेशकों का पारिश्रमिक एवं हित लाभ :

पूर्णकालिक निदेशकों (कार्यकारी एवं निदेशक मण्डल के मुख्य सदस्य), अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों को सम्मिलित करते हुए उ.प्र.पा.का.लि. के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/तैनात किये गये हैं और कम्पनी (उ.प्र.पा.ट्रा.का.नि.ल.) का अतिरिक्त कार्यभार भी उनके पास है। उन्होंने अपना पारिश्रमिक जैसाकि उनका अधिकार है, उ.प्र.पा.का.लि. से आहरित किया है।

13. (अ) दिनांक 09.11.2000 की बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर (उ.प्र.पा.का.लि. के निदेशक मण्डल द्वारा अंगीकृत की गयी) पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के प्रोदभूत दायित्व का प्राविधान कर्मचारियों को देय मूल वेतन एवं ग्रेड पे मंहगाई भत्ते को जोड़कर क्रमशः 16.70 प्रतिशत एवं 2.38 प्रतिशत दर से किया गया है। कम्पनी ने पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के दायित्व का निर्धारण करने हेतु नये सिरे से बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की है।

(ब) अवकाश नकदीकरण, चिकित्सीय लाभ एवं अवकाश यात्रा सुविधा का लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त दावों एवं अनुमोदन के आधार पर किया गया है।

14. चूँकि कारपोरेशन मुख्यतः विद्युत के पारेषण का व्यवसाय करता है और लेखीय मानक–17 के अनुसार कोई अन्य कोई सूचनीय भाग नहीं है इसलिए लेखीय मानक–17 के अन्तर्गत कोई सूचनीय भाग के प्रकटन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एस.एल.डी.सी. के प्रथक कार्यों से सम्बंधित क्रिया–कलापों के लेनदेनों का विवरण पूर्व में ही उपर्युक्त प्रस्तर 9 में दिया जा चुका है।

15. लेखीय मानक–18 के अनुसार प्रकटन :–

(अ) सम्बंधित पक्षों की सूची (मुख्य प्रबंधन कर्त्ताओं) :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यावधि (वित्तीय वर्ष **2010–11** के लिए)	
			नियुक्ति	सेवानिवृत्ति/समाप्ति **31-03-2010** को
1	श्री नवनीत सहगल	अध्यक्ष	07–01–09	12–09–10
	श्री नवनीत सहगल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	13–09–10	कार्यरत
2	श्री नरेन्द्र भूषण	प्रबन्ध निदेशक	16–03–09	12–09–10
3	श्री एस.के. अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	09–01–09	कार्यरत
4	श्री रमा रमन	निदेशक	22–09–08	02–04–10
5	श्री पी.जे. ठक्कर	निदेशक	19–05–10	कार्यरत
6	श्री गनेश सिंह	निदेशक	16–12–08	कार्यरत
7	श्री नील रतन कुमार	निदेशक	06–10–10	कार्यरत

(ब) मुख्य प्रबन्धक कार्मिकों (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक व निदेशकों) को भुगतान किया गया पारिश्रमिक एवं अन्य लाभ–शून्य है।

(स) सम्बन्धित पक्षों से लेनदेन : उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. एक राज्य स्वामित्व वाला अद्यम होने के कारण अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों से सम्बंधित पक्षों से लेन–देन सम्बंधी प्रकटन लेखीय मानक–18 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार लागू नहीं है।

16. लेखीय मानक–20 (ई.पी.एस.) के अनुसार प्रतिअंश मूल आय एवं कम हुई आय लाभ एवं हानि खाते में दर्शायी गयी है। प्रतिअंश मूल आय टैक्स घटाने के पश्चात शुद्ध हानि वर्ष के दौरान अंशों की समस्त भारित संख्या से भाग देकर आगणित की गयी है। प्रतिअंश कम हुई आय के आगणन हेतु प्रयोग की गयी संख्या में समता अंश धनराशि (आवंटन हेतु लम्बित) सम्मिलित है।

(धनराशि रु. में)

	प्रति अंश आय	31.03.2011	31.03.2010
(अ)	कर के पश्चात शुद्धि हानि (आगणन हेतु प्रयुक्त गणक)	24172021	326115905
(ब)	समता अंशों की भारित औसत संख्या (मूलप्रति अंश आय के आगणन हेतु प्रयुक्त भाजक)	4335500	3621250
(स)	समता अंशों की भारित औसत संख्या (प्रति अंश कम हुई आय के आगणन हेतु प्रयुक्त भाजक)	37501219	31186275
(द)	प्रत्येक रु. 1000/– के प्रति अंश पर मूल आय	(5.58)	(90.06)
(य)	प्रत्येक रु. 1000/– के प्रति अंश पर कम हुई आय	(0.64)	(10.46)

17. आस्थगित कर सम्पत्तियों का लेखांकन विवेकपूर्ण आधार पर लेखों में विचारित नहीं किया गया, क्योंकि रु. 1036.24 करोड़ की असंविलीनित संचित हानियों के कारण निकट भविष्य में उपलब्ध होने वाली आय के सम्बन्ध में कम्पनी निश्चित नही है। इसमें रु. 976.27 करोड़ की संचित हानियाँ सम्मिलित हैं जिन्हें अन्तरण योजना के अन्तर्गत उ.प्र.पा.का.लि द्वारा हस्तांतरित किया गया है। उपर्युक्त अन्तरण योजना के अन्तर्गत हस्तान्तरक (उ.प्र.पा. का.लि.) से हस्तांतरित (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.) को पारेषण उपक्रम का हस्तांतरण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(19एए) के अभिप्राय से हस्तान्तरक का अविलयन होगा।

18. प्रबन्धन की राय में जैसा कि आई.सी.ए.आई. के लेखीय मानक–28 में निर्धारित है तुलन पत्र की तिथि को कोई विशेष सूचना नही है कि स्थाई परिसम्पत्तियों में कोई क्षरण नही हुआ है। अग्रेतर कारपोरेशन की स्थाई परिसम्पत्तियों का लेखांकन उनकी ऐतिहासिक लागत पर किया गया है तथा अधिकतर स्थायी परिसम्पत्तियां बहुत पुरानी हैं जहां क्षरण की सम्भावना बहुत ही असम्भाव्य है।

19. वर्ष के दौरान विद्युत का पारेषण/चक्रण 62268.448189 मि.यू. है (पूर्व वर्ष 56745.601 मि.यू.)

20. (अ) दिनांक 31.03.2011 को पूँजीगत कार्यों के ठेकों की अनुमानित धनराशि जिनका कार्य निष्पादित नहीं हुआ था और जिनके लिये कोई प्राविधान नही किये गये थे, रु. 222.52 करोड़ है। (पूर्व वर्ष में रु. 356.49 करोड़)।

(ब) आकस्मिक दायित्व :

कम्पनी के विरुद्ध अन्य दावे रु. 26.66 करोड़ के हैं, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नही किया गया। (पूर्व वर्ष में रु. 25.77 करोड़)।

21. लेखीय मानक–29 के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार हैं :–

क्र.सं.	विवरण	प्राविधानों का संचलन			
		01.04.2010 को प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान किये गये प्राविधान	वर्ष के दौरान समायोजित प्राविधान	अन्तिम अवशेष
1	पूँजीगत कार्यो के सापेक्ष संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्राविधान	139397631	257605046	–	397002677
2	भण्डार सामग्री के अप्रचलित/अप्रयोज्य/कमी/हानि के लिये प्राविधान	405624787	–	126915	405497872
3	अशोद्ध एवं संदिग्ध ऋणों के लिये प्राविधान	177571300	–	–	177571300
4	संदिग्ध प्राप्यों के लिये प्राविधान	30148300	1545399	–	31693699
5	स्थाई परिसम्पत्तियों की चोरी के कारण हानि के लिये प्राविधान	1045672	–	–	1045672
6	परि. एवं अनु. कार्यो के सापेक्ष संदिग्ध अग्रिमों के लिये प्राविधान	34896314	4273820	–	39170134
	योग	**788684004**	**263424265**	**126915**	**1051981354**

22. तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते तथा अनुसूचियों में दर्शायी गयी राशियों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

23. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को जहाँ की आवश्यक समझा गया पुनर्वर्गीकृत/पुनर्श्रेणीकृत/पुनर्निर्माण किया गया है।

आभा सेठी टण्डन	**ए॰के॰ गुप्ता**	**एस॰के॰ अग्रवाल**	**आलोक कुमार**
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि की हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ॰आर॰एन॰नं॰ 000932 सी
आर॰पी॰ तिवारी
साझीदार
स॰सं॰ 071448

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 03–04–2013

तुलनपत्र सार एवं कम्पनी के सामान्य व्यवसाय का पार्श्व दृश्य

1. पंजीकरण विवरण :

पंजीकरण संख्या: 20-28687 | राज्य कोड: 20

आर्थिक चिट्ठा तिथि: दिनांक 31 | माह 03 | वर्ष 2011

2. वर्ष के दौरान पूँजी वृद्धि (धनराशि हजार रुपये में)

सार्वजनिक निर्गम: शून्य	बोनस निर्गम: शून्य
अधिकार निर्गम: शून्य	निजी भागीदारी: शून्य

3. निधियों के जुटाव एवं विकास की स्थिति : (धनराशि हजार रुपये में)

कुल दायित्व: 79058305	कुल परिसम्पत्तियाँ: 79058305

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी: 4335500	कोष एवं आधिक्य: 4089666
अंश आवेदन धनराशि आवंटन हेतु लम्बित: 35999052	असंरक्षित ऋण: 16636898
संरक्षित ऋण: 17997189	विविध व्यय: शून्य

निधियों का उपयोग | **शुद्ध चालू परिसम्पत्तियाँ**

शुद्ध स्थायी परिसम्पत्तियाँ: 65729906	2966037
संचित हानियाँ: 10362363	विनियोजन: शून्य
	कुल व्यय: 9058804

4. कम्पनी का निष्पादन

(धनराशि हजार रु. में)	(+/–) कर के पश्चात लाभ/हानि: - 24172
कुल बिक्री (सकल राजस्व): 9034632	लाभांश दर प्रतिशत में: शून्य
(+/–) कर के पूर्व लाभ/हानि: - 24172	मद कोड सं.: लागू नहीं
प्रतिअंश उपार्जन (रु. में): - 5.58	

उत्पाद/सेवा विवरण

विद्युत का पारेषण

आभा सेठी टण्डन	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	आलोक कुमार
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

उ.प्र. पावर ट्रांन्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(पूर्वनाम विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड)
31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(धनराशि करोड़ रु. में)

	31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए		2010–11	2009–10
(अ)	**परिचालकीय क्रिया कलापों से रोकड़ प्रवाह**			
	शुद्ध लाभ/हानि पूर्वावधि आय व व्यय एवं कर से पूर्व		**(36.22)**	**(46.13)**
	निम्न के लिए समायोजन –		**–**	**–**
	(अ)	ह्रास	340.36	317.55
	(ब)	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	200.78	178.13
	(स)	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्राविधान	26.34	9.82
	(द)	अपलेखित अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्राविधान (ऋण एवं अग्रिम)	–	(0.78)
	(य)	ब्याज से आय	(11.02)	(8.10)
	(र)	पूर्वावधि व्यय (शुद्ध)	33.80	13.51
	उप योग		**590.26**	**510.13**
	कार्यशील पूंजी प्रभारों से पूर्व परिचालकीय लाभ		**554.04**	**464.00**
	निम्न के लिए समायोजन –			
	(अ)	भन्डार एवं कलपुर्जे	(84.85)	(40.26)
	(ब)	विविध देनदार	(519.16)	(275.95)
	(स)	अन्य चालू परिसम्पत्तियां	(4.80)	(7.76)
	(द)	ऋण एवं अग्रिम	(5.32)	7.63
	(र)	चालू दायित्व एवं प्राविधान	289.21	92.40
	उप योग		**(324.92)**	**(223.94)**
	परिचालकीय क्रिया–कलापों से शुद्ध रोकड़ (अ)		**229.12**	**240.06**
(ब)	**विनियोगी क्रिया कलापों से रोकड़ प्रवाह**			
	(अ)	स्थायी परिसम्पत्तियों में कमी/वृद्धि	(499.08)	(729.24)
	(i)	समायोजित/घटायी गयी स्थायी परिसम्पत्तियाँ	71.93	66.37
	(ii)	समायोजित/घटाया गया ह्रास कोष	(29.71)	(36.50)
	(ब)	प्रगतिशील कार्यो में कमी/(वृद्धि)	(1015.79)	(168.10)
	(स)	ब्याज आय	11.02	8.10
	विनियोगी क्रिया–कलापों से शुद्ध रोकड़ सृजन (ब)		**(1461.63)**	**(859.37)**

(स)	**वित्तीय क्रिया कलापों से रोकड़ प्रवाह**		–	–
	(अ)	उधारी से प्राप्तियाँ (शुद्ध)	641.67	439.14
	(ब)	अंश पूंजी से प्राप्तियां	–	428.55
	(स)	अंश आवेदन धनराशि से प्राप्तियां	500.00	463.02
	(द)	उपभोक्ताओं से अंशदान एवं उ.प्र. सरकार से पूँजीगत (कोष एवं आधिक्य) से प्राप्तियाँ	30.48	76.41
	(र)	ऋण परिशोधित धनराशि	(11.16)	(8.90)
	(य)	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	(200.78)	(178.13)
वित्तीय क्रिया–कलापों से शुद्ध रोकड़ सृजन (स)			**960.21**	**1220.09**
रोकड़ में शुद्ध वृद्धि/(कमी) एवं रोकड़ समतुल्य (अ+ब+स)			(272.30)	600.78
वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य			625.51	24.73
वर्ष के अन्त में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य			353.21	625.51

रोकड़ प्रवाह विवरणों पर टिप्पणियाँ :

i. यह विवरण परोक्ष पद्धति से तैयार किया गया है जैसाकि लेखीय मानक–3 द्वारा निर्दिष्ट है।

ii. तुलनपत्र की अनुसूची–4 के अनुसार ह्रास के लिए समायोजन में पूर्वावधि के लिए भारित ह्रास की धनराशि रु. 3.67 करोड़ सम्मिलित है (पूर्व वर्ष रू. 7.02 करोड़)

iii. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में हस्तगत रोकड़, बैंक अवशेष अनुसूचित बैंकों में एवं बैंक में सावधि जमा सम्मिलित है।

iv.. इस विवरण में आंकड़ों को करोड़ रुपयों में दो दशमलव तक पूर्णांकित किया गया हैं।

v. पूर्व वर्ष आंकड़ों को जहां आवश्यक समझा गया पुनर्वर्गीकृत/पुनर्श्रेणीकृत/पुनर्निर्माण किया गया है।

आभा सेठी टण्डन	**ए॰के॰ गुप्ता**	**एस॰के॰ अग्रवाल**	**आलोक कुमार**
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

यथानिर्दिष्ट तिथि की हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ॰आर॰एन॰नं॰ 000932 सी
आर॰पी॰ तिवारी
साझीदार
स॰सं॰ 071448

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 03–04–2013

आर०एम० लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

4/10, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ -226010
दूरभाष–0522-4043793, 2304172

सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लि. के रूप में नाम था)
लखनऊ

1. हमने 31 मार्च, 2011 के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के संलग्न आर्थिक चिट्ठे, लाभ एवं हानि खाते तथा उसके साथ सलंग्न इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का कम्पनी के रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसमें चार पारेषण क्षेत्रों के लेखे, जिनका सम्प्रेक्षण सम्बन्धित शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा किया गया है, समाविष्ट है, का सम्प्रेक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणों के लिए कम्पनी प्रबन्धन उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।

2. हमने अपना सम्प्रेक्षण भारत वर्ष में सामान्यतः मान्य सम्प्रेक्षण मानकों के अनुसार किया है। यह मानक अपेक्षा करते हैं कि हम अपने सम्प्रेक्षण की कार्य योजना इस प्रकार बनायें एवं सम्प्रेक्षण का कार्य इस प्रकार करें, ताकि हमें उचित रूप से विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से रहित हैं। सम्प्रेक्षण जो परख जांच के आधार पर किया जाता है, में इसका भी समावेश होता है कि वित्तीय विवरणों में इंगित की गयी धनराशियों के समर्थित साक्ष्य एवं प्रकट किये गये तथ्यों की जांच सम्मिलित होती है। ऐसे सम्प्रेक्षण में प्रयोग में लाये गये लेखीय सिद्धान्तों एवं प्रबन्धन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों की जांच एवं वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण भी सम्मिलित है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया सम्प्रेक्षण हमारे अभिमत का उचित आधार प्रस्तुत करता है।

3. वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के वार्षिक लेखे अंशधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत/विचारित/अंगीकृत नहीं किये गये। परन्तु बकाया लम्बित लेखों को अद्यतन पूरा करने के सम्बंध में सी.एण्ड ए.जी. के कार्यालय से जारी स्पष्टीकरण के सन्दर्भ में वर्ष 2010–11 के लेखो पर सम्प्रेक्षक की रिपोर्ट, वार्षिक सामान्य बैठक में पिछले वर्ष लेखों का अनुमोदन/अंगीकरण लम्बित रहते हुए निर्गत की जा रही हैं।

4. जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी (सम्प्रेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा अपेक्षित है, हम कथित आदेश के प्रस्तर 4 एवं 5 में निर्दिष्ट प्रकरणों पर एक विवरण अनुलग्नक में सलंग्नक कर रहे हैं।

5. (अ) कोष एवं आधिक्य में वर्ष के अन्त तक पुनर्संरचना खाते के रूप में रु. 180.72 करोड़ का अवशेष सम्मिलित है। यह दिनांक 01.04.2007 को पुस्तकों के अनुसार परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के खण्डवार संकलित अवशेषों तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना सं. 2974/XXIV–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के माध्यम के अधिसूचित अन्तरण योजना में दर्शाये गये अवशेषों के मध्य अन्तर से सम्बंधित है। कथित अनन्तिम अंतरण योजना का अन्तिमीकरण अभी लम्बित है, जिसके कारण वित्तीय विवरणों में दर्शाये गये परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के अवशेषों की स्थिति परिवर्तित हो सकती है (अनुसूची–21–ब की टिप्पणी सं. 1 का सन्दर्भ लें)

(ब) अनुसूची–21–ए की लेखीय नीति संख्या–5 के अनुसार वर्ष के पारेषण राजस्व को ऊर्जा के अन्तर राजीय पारेषण के लिए उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित दर सूची के आधार पर रु. 0.126 प्रति यूनिट की दर से मान्यता दी गई है।

अग्रेतर उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित पारेषण दर सूची में अन्तर जैसाकि ऊपर वर्णित है एवं निर्धारित दर सूची एवं वर्ष के लिए सम्प्रेक्षित लेखों पर अनुमोदित और उ.प्र.वि.वि.आ. को प्रस्तुत ट्रू–अप याचिका का लेखांकन, उ.प्र.वि.नि.आ. के निर्णय के आधार किया जायेगा।

(स) चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों असंरक्षित ऋणों, चालू दायित्वों के अन्तर्गत अवशेषों, डिस्कामों आदि के अवशेषों को सम्मिलित करते हुए, भण्डार सामग्री पारगमन में/निरीक्षण के अन्तर्गत/ठेकेदारों/निर्माणकर्त्ताओं आदि के पास पुष्टीकरण, समाशोधन एवं परिणामी समायोजन की शर्ताधीन हैं यदि कोई हो। पर्याप्त सूचना के अभाव में हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ है कि यह अवशेष वसूली योग्य है या नही है तथा अनुसूची–21 बी की टिप्पणी संख्या 3 (अ) (ब) तथा (स) के अनुसार इनके लिए जो प्राविधान किये गये है वह पर्याप्त हैं या नहीं।

(द) चालू दायित्वों एवं प्राविधानों में रु. 18.11 करोड़ 'अन्तर इकाई हस्तांतरण' के रूप में सम्मिलित हैं जोकि अन्तर इकाई लेनदेनों के असमाधानित अवशेषों का प्रतिनिधित्व करते है। जैसाकि प्रबन्धन द्वारा सूचित किया गया है, अन्तर इकाई खातों का समाधान प्रक्रियाधीन है।

(य) सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उद्यमों को देय बकाया जैसा कि एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत परिभाषित है, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग–1 के अनुसार प्रकट नहीं किया गया तथा कम्पनी के पास पर्याप्त सूचना के अभाव में इन अवशेषों पर देय ब्याज की मान्यता वित्तीय विवरणों में नहीं दी गयी (अनुसूची –21 ब की टिप्पणी संख्या 7 का सन्दर्भ लें)।

(र) यह पाया गया कि पक्षवार सहायक लेजरों के रखरखाव की पद्धति तथा प्राथमिक लेखा पुस्तकों के साथ इनके मिलान की प्रक्रिया पर्याप्त व प्रभावी नहीं है।

(ल) अनुसूची 21 ब की टिप्पणी संख्या 20 (अ) एवं 20 (ब) में इंगित आकस्मिक दायित्वों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा जैसा विवरण उपलब्ध कराया गया उस पर हमारे द्वारा विश्वास कर लिया गया।

(व) पारेषण पूर्व (इलाहाबाद) की शाखा सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुसार–

(i) कोड 28.108 में धनराशि रु. 21865120.50 में रु. 12200800.00 एवं रु. 2470720.00 दोनों क्रमशः पी.जी.सी.आई.एल. वे वाराणासी एवं मऊ इकाई के परि. एवं अनु. प्रभारों से सम्बन्धित, सम्मिलित है जिसके सम्बंध में पीजीसी.आई.एल. से अनुबन्ध/पुष्टि सम्प्रेक्षकों को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

(ii) पूँजीगत प्रगतिशील कार्य (कोड–14) में इटलू (काफी लम्बी अवधि से अप्रचलित इकाई) से सम्बंधित अवरूद्ध धनराशि रु. 62817411.69 सम्मिलित है। प्रबन्धन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रकरण समाधान के अन्तर्गत है।

(iii) विद्युत पारेषण खण्ड–II द्वारा क्रय की गई भूमि के अधिकार विलेख क्रेता का नाम इंगित नहीं करते हैं यथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. अग्रेतर भूमि राजस्व में नामांतरण अभी किया जाना है।

(iv) रोकड़ एवं बैंक अवशेषों (अनुसूची–8) में रु. 80000.00 की बैंक सावधि जमा शामिल है जिसके विवरण कम्पनी के पास उपलब्ध नही है एवं जिसके लिए कोई प्राविधान नही किया गया। जैसा कि प्रबन्धन द्वारा सूचित किया गया कि गुम हुई सावधि जमा के सम्बन्ध मे छानबीन प्रक्रिया मे है।

(श) कम्पनी की किताबों में 31 मार्च 2011 को उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पास अवशेष रु० 15.12 करोड़ के है (अनुसूची–11 चालू दायित्वों एवं प्राविधानों में दर्शाये गये) जबकि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के सम्प्रेक्षित खातों के अनुसार, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन के कारणों से प्राप्य अवशेष रु. 49.63 करोड़ हैं

(अनुसूची–10 अन्य चालू परिसम्पत्तियों में दर्शाये गये) यह अन्तर रु. 34.51 करोड़ का है जोकि समाधान एवं अनुवर्ती समायोजनों की शर्ताधीन है।

(ष) वर्ष के दौरान पूर्व वर्षो में अवकाश नकदीकरण के सापेक्ष सकल धनराशि रु. 35.08 करोड़ के प्राविधान पारेषण पूर्व (इलाहाबाद) में वापस लिये गये हैं जोकि अनुसूची 21 अ की लेखीय नीति संख्था 7 (ब) के अनुसार किया गया है।

6. (अ) भण्डार सामग्री का मूल्यांकन लागत पर किया गया है और नाकि ''लागत से कम मूल्य पर या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर'' जैसाकि लेखीय मानक (ले. मा.)–2 ''भण्डार सामग्री का मूल्यांकन'' द्वारा आपेक्षित है। (अनुसूची–21–अ की लेखीय नीति सं. 4 का सन्दर्भ लें)

(ब) ऊर्जा के पारेषण/मुक्त उपगम से अन्तर राज्यीय पारेषण के सम्बन्ध में राजस्व की मान्यता नकद आधार पर है जोकि लेखीय मानक (ले.मा.)–9 ''राजस्व मान्यता'' के अनुरूप नहीं है (अनुसूची–21 अ की लेखीय नीति 5(ब) का सन्दर्भ लें)।

(स) पूर्ण हुई परियोजनाओं पर प्रगतिशील पूँजीगत कार्यो पर हुए व्यय को स्थानांतरित करके पूँजीकृत कर लिया गया है। परियोजना की लागत को सम्बंधित अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता द्वारा सत्यापित किया जाता है। कार्यकारी इकाइयों की बहुल्यता के कारण एवं साथ ही साथ इकाई विशेष पर कार्यो की विविधता के कारण कर्मचारी लागत एवं सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों को पूँजीगत कार्यो पर हुए कुल व्यय के आधार पर पूँजीगत किया जाता है। (अनुसूची–21 अ की लेखीय नीति 2 (ई) का सन्दर्भ लें) यह अप्रत्यक्ष व्ययों को पूँजीकरण करने की पद्धति लेखीय मानक–10 'स्थायी परिसम्पत्तियों'' का लेखांकन में दिये गये प्रतिपादन के अनुसार नही है।

(द) अवकाश नकदीकरण का लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त एवं अनुमोदित दावों के आधार पर किया जाता है और नाकि बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर (अनुसूची–21 ब की टिप्पणी से. 13 (ब) एवं अनुसूची–21 अ की लेखीय नीति सं. 7 (ब) का सन्दर्भ लें) अग्रेतर, कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेंशन एवं ग्रेंच्युटी के लिए प्राविधान बीमांकक मूल्यांकन दिनांक 09–11–2000 के आधार पर किया गया है (अनुसूची–21 अ की लेखीय नीति सं. 7 (अ) एवं अनुसूची–21 ब की टिप्पणी सं. 13 (अ) का सन्दर्भ लें)। इन कर्मचारी हितलाभों का लेखांकन लेखीय मानक (ले.मा.) 15 ''कर्मचारी हित लाभ'' (पुनरीक्षित 2005) में निर्दिष्ट प्रतिपादन के अनुसार नही है।

(य) पूँजीगत परिसम्पत्तियों को निर्माण अवस्था के दौरान उधारी लागत वर्ष के प्रगतिशील पूँजीगत कार्यो के औसत अवशेष पर प्रभाजित है। (अनुसूची–21 अ की लेखीय नीति से 2 (एफ) का सन्दर्भ ले)।

अग्रेतर, निश्चित परिसम्पत्तियों जो अर्हता प्राप्त सम्पत्तियाँ नहीं हैं क्योंकि ये तैयार होने में पर्याप्त समयावधि नही लेती है, पर भी ब्याज पूँजीकृत है। हमारे अभिमत में, स्थायी परिसम्पत्तियों पर उधारी लागत को पूँजीकरण करने की यह विधि लेखीय मानक (ले.मा.) 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप नही है।

(र) अनुसूची–21 ब की टिप्पणी सं.–17 के सन्दर्भ में अपर्याप्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए, हम लेखीय मानक–22 ''आय पर टैक्स का लेखांकन'' के अनुसार आस्थगित कर के लेखांकन पर पर्याप्तता या अन्यथा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(ल) परिसम्पत्तियों के क्षरण के सम्बन्ध में प्रबन्धन का मत सम्बन्धित सूचना द्वारा समर्थित नही है अतः हम लेखीय मानक (ले.मा.) 28 के प्राविधान के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। अनुसूची–21 ब की टिप्पणी सं.–18 का सन्दर्भ लें)

7. पूर्ण सूचना के अभाव में इस रिपोर्ट के संलग्नक के प्रस्तर 4 एवं 5 में हमारे द्वारा की गयी आपत्तियों का कम्पनी के लेखों पर संचयी प्रभाव अभिनिश्चित नहीं है।

8. प्रबन्धन द्वारा, कम्पनी के अन्तिम खाते, शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित कम्पनी की शखाओं (क्षेत्रों) के तलपटों के आधार पर संकलित किये गये हैं। तुलन पत्र एवं लाभ एवं हानि खाता शाखा स्तर पर तैयार नही किये जाते है जोकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 का उल्लंघन है।

9. हमारे अभिमत में, हमारे सम्प्रेक्षा के लिये उचित एवं पर्याप्त नियत विवरण उन शाखाओं से प्राप्त हो गये है जिनका निरीक्षण हमारे द्वारा नही किया गया। शाखा सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रसारित की गयी और उन पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से विचार किया गया।

10. कम्पनी क्रिया–कलापों के विभाग के परिपत्र सं. 8/2002 के सन्दर्भ में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता के प्राविधान कम्पनी पर लागू नही हैं।

11. सपठित प्रस्तर 3 में हमारी टिप्पणियों एवं उपर्युक्त प्रस्तर 5 से 8 में एवं सन्दर्भित अनुलग्नक के प्रस्तर 4 में दी गयी हमारी आपत्तियों के प्रतिबन्धाधीन हम सूचित करते है कि :

    (अ) हमने अपने सम्प्रेक्षण के उद्देश्य से सिवाय उनके जो ऊपर इंगित हैं, सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं, जो कि हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

    (ब) हमारे अभिमत में, कम्पनी ने विधि सम्मत सभी उचित लेखा पुस्तकों का रख–रखाव किया है जैसा कि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के परीक्षण से स्पष्ट होता है।

    (स) इस रिपोर्ट द्वारा विचारित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता, रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों तथा क्षेत्रों से प्राप्त सम्प्रेक्षित विवरणों से मेल खाते हैं।

    (द) हमारे अभिमत में इस रिपोर्ट द्वारा विचारित आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में संदर्भित लेखीय मानक का अनुपालन करते हैं।

    (य) हमारे अभिमत में तथा पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित लेखे सपठित लेखीय नीतियां एवं अनुसूची–21 अ एवं 21 ब में सन्दर्भित टिप्पणियां कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखीय सिद्धान्तों की अनुरूपता में यथार्थ एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं –

        (अ) आर्थिक चिट्ठे के मामले में दिनांक 31.03.2011 को कम्पनी के क्रिया–कलापों की स्थिति।

        (ब) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के मामले में हानि की स्थिति एवं

        (स) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में रोकड़ प्रवाह की स्थिति।

यथानिर्दिष्ट तिथि की हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन

कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

एफ॰आर॰एन॰नं॰ 000932 सी

आर॰पी॰ तिवारी

साझीदार

स॰सं॰ 071448

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 03–04–2013

आर.एम. लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

मुख्यालयः **4-10** विशाल खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ–**226010**
टेलीफोन नं. **522-4043793**

(उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट में सन्दर्भित अनुलग्नक)

ऐसे परीक्षण जैसाकि हमने लागू करना उचित समझा, मुख्यालय के सम्प्रेक्षण के दौरान प्रबन्धन द्वारा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा अन्य सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित चार पारेषण क्षेत्रों की सम्प्रेक्षक रिपोर्ट के आधार पर हम निम्नवत सूचित करते हैं :–

I	अ	कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं उनकी अवस्थिति सम्बधी पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।
	ब	कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है, अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण विसंगति थी अथवा नहीं।
	स	कम्पनी ने वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्ति के किसी महत्वपूर्ण भाग का निस्तारण नहीं किया है।
	द	पारेषण पश्चिम (मेरठ) की शाखा सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुसार पूँजीगत प्रगतिशील कार्यो को इकाइयों से अन्तिम पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थायी परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कर दिया गया है।
II	अ	प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार वर्ष के दौरान प्रबन्धन द्वारा भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे अभिमत में भण्डार की प्रकृति एवं अवस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है।
	ब	प्रबन्धन द्वारा अपनायी गयी भण्डार सामग्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया उचित है तथा कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के सन्दर्भ में पर्याप्त है सिवाय पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद के जहां इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
	स	हमारे अभिमत में कम्पनी भण्डार सामग्री के उचित अभिलेखों का रख–रखाव कर रही है। सिवाय पारेषण (पूर्व) क्षेत्र। जहां कहीं भौतिक सत्यापन में महत्वपूर्ण विसंगतियां इंगित की गयी हैं, उन्हें लेखा पुस्तकों में उचित रूप से कार्यान्वयित किया गया है सिवाय पारेषण पूर्व क्षेत्र के।
III	अ	जैसा कि प्रबन्धन द्वारा हमें स्पष्ट किया गया है कि कम्पनी ने किसी कम्पनी फर्म या अन्य पक्षों जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर से आवरित है, को कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित स्वीकृत नही किये हैं।
	ब	उपर्युक्त प्रस्तर (III) (अ) के परिपेक्ष्य में आदेश के प्रस्तर सं. (III) (बी) (सी) एवं डी लागू नहीं हैं।
	स	कम्पनी ने कम्पनी, फर्मों या अन्य पक्षों से जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर से आवरित हैं, से कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित नही लिया है।
	द	उपर्युक्त प्रस्तर (III) (स) के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी आदेश, 2000 के प्रस्तर के (III) (एफ) एवं (जी) लागू नहीं है।
IV		हमारे अभिमत में एवं हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी में पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण पद्धति है, जो कम्पनी के आकार तथा भण्डार सामग्री एवं स्थायी परिसम्पत्तियों के क्रय के लिए इसके

		व्यवसाय की प्रकृति एवं सेवाओं की बिक्री के लिए अनुरूप है सिवाय इसके :–(1) पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद में उप ठेकेदारों एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये किसी कार्य विशेष के लिये निक्षेप कार्य एवं अन्य कार्यों से सम्बंधित व्यय का लेखांकन। (2) पारेषण(पूर्व) इलाहाबाद मे भण्डार सामग्री के निरीक्षण/सत्यापन अग्रिमों के समायोजन एवं सामग्री प्राप्ति। उपर्युक्त की शर्ताधीन आन्तरिक नियन्त्रण में मुख्य कमियों के निवारण हेतु निरन्तर रही असफलता हमारे संज्ञान में नही आयी।
V	अ	हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि ऐसे कोई ठेके या व्यवस्था नहीं है जिसका विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में अंकित करना आवश्यक हो।
	ब	उपर्युक्त (V) (अ) के परिप्रेक्ष्य में आदेश का प्रस्तर (V) (ब) लागू नहीं है।
VI		कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर एवं हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारे मत में कम्पनी ने कोई सार्वजनिक ऋण या निक्षेप स्वीकार नहीं किये है।
VII		कम्पनी में चार्टर्ड एकाउन्टेट की फर्मों द्वारा इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए एक आन्तरिक सम्प्रेक्षा पद्धति है। मुख्यालय पर कोई आन्तरिक सम्प्रेक्षण पद्धति नही है। अग्रेतर, पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद में क्षेत्रीय इकाइयों की जांच परख के लिये अवधि सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इसे व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप बनाया जा सके। पारेषण (पूर्व) एवं पारेषण (दक्षिण) की आन्तरिक सम्प्रेक्षा के अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किये गये।
VIII		कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अन्तर्गत निर्दिष्ट लागत लेखों का रख–रखाव कम्पनी द्वारा सम्प्रेक्षाधीन वर्ष मे नही किया गया है।
IX	अ	हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उपकर एवं अन्य किसी वैधानिक देयों के साथ अविवादित वैधानिक देयों को उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में सामान्यतः नियमित है, यद्यपि तुलन पत्र की तिथि को 6 माहों से अधिक से फ्रिन्ज बैनीफिट टैक्स से सम्बंधित बकाया अविवादित दायित्व रुपये 378134/- के हैं। यह पाया गया है कि भविष्य निधि एवं उ.प्र. विद्युत क्षेत्र कर्मचारियों ट्रस्ट को भुगतान मासिक आधार पर नही किया जाताा है। अग्रेतर, स्रोत पर आयकर की कटौती एवं जमा एवं स्रोत पर व्यापार कर का अनुपालन उचित रूप से नहीं किया गया और वैट विवरण पारेषण (पश्चिम) की कुछ इकाइयों द्वारा जमा नही किये गये जैसाकि यूपी वैट एक्ट, 2008 के अन्तर्गत आवश्यक थे।
	ब	जैसाकि प्रबन्धन द्वारा हमें सूचित किया गया है कि ऐसे कोई देय नहीं हैं, जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नही किया गया हो।
X		कम्पनी 5 वर्षों से अधिक के लिए पंजीकृत की गयी है, इसकी संचयी हानियाँ इसके शुद्ध मूल्य से 50 प्रतिशत से अधिक है और इसे चालू वित्तीय वर्ष एवं ऐसे वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष में, कोई नकद हानियाँ नही की है।
XI		हमें दी गई सूचना या स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय संस्थाओं या बैंक या ऋणपत्र धारकों के देयों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नही की है।

XII		कम्पनी ने अंशपत्रों, ऋण पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों के रेहन द्वारा प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत नही किये हैं।
XIII		कम्पनी, चिट फण्ड/निधि/पारस्पारिक लाभ निधि/समिति नही है, अतः आदेश का प्रस्तर (XIII) लागू नही है।
XIV		कम्पनी अंशपत्रों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों और अन्य विनियोगों में व्यापार नहीं करती है, अतः आदेश का प्रस्तर (XIV) लागू नही है।
XV		जैसा कि हमें सूचित किया गया है कम्पनी ने अन्य पक्षों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों के लिये कोई प्रत्याभूति नही दी है।
XVI		हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऋण निधियों का उपयोग उन्ही उद्देश्यों के लिये किया गया, जिनके लिए ऋण प्राप्त किये गये थे, क्योंकि लेखे इस प्रकार से नहीं रखे गये हैं, जिससे ऋण निधियों के अन्ततः प्रयोग के सम्बन्ध में तत्काल चिन्हीकरण हो सके। परन्तु प्रबंधन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण निधियों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया, जिनके लिए प्राप्त किये गये थे।
XVII		हम टिप्पणी करने में असमर्थ है कि अल्पावधि आधार पर प्राप्त की गई निधियों का उपयोग दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए नही किया गया है चूंकि लेखो का रख रखाव इस प्रकार से नही किया जाता है जिससे ऋण निधियों के अन्ततः प्रयोग के सम्बन्ध में तत्काल चिन्हीकरण हो सके।
XVIII		कम्पनी ने कोई अधिमान अंशपत्रों की धारा 301 के अन्तर्गत आवरित पक्षों को आवंटन नही किया है। अतः आदेश का प्रस्तर (XVIII) लागू नही है।
XIX		कम्पनी ने कोई ऋणपत्र निर्गत नहीं किये हैं इसलिए आदेश का प्रस्तर (XIX) लागू नहीं है।
XX		कम्पनी ने सार्वजनिक निर्गम द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है, अतः आदेश का प्रस्तर (XX) लागू नही है।
XXI		हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कोई धोखा–धड़ी कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के विरूद्ध नहीं की गयी।

यथानिर्दिष्ट तिथि की हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन

कृते आर.एम. लाल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

एफ.आर.एन.नं. 000932 सी

आर.पी. तिवारी

साझीदार

स.सं. 071448

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 03–04–2013

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर वैधानिक सम्प्रेक्षक के प्रतिवेदन पर प्रबंधन के उत्तर।

	सम्प्रेक्षक का रिपोर्ट	प्रबन्धन का उत्तर
1.	हमने 31 मार्च, 2011 के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के संलग्न आर्थिक चिट्ठे, लाभ एवं हानि खाते तथा उसके साथ सलंग्न इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का कम्पनी के रोकड़ प्रवाह विवरण, जिसमें चार पारेषण क्षेत्रों के लेखे, जिनका सम्प्रेक्षण सम्बन्धित शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा किया गया है, समाविष्ट है, का सम्प्रेक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणों के लिए कम्पनी प्रबन्धन उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।	कोई टिप्पणी नही।
2.	हमने अपना सम्प्रेक्षण भारत वर्ष में सामान्यतः मान्य सम्प्रेक्षण मानकों के अनुसार किया है। यह मानक अपेक्षा करते हैं कि हम अपने सम्प्रेक्षण की कार्य योजना इस प्रकार बनायें एवं सम्प्रेक्षण का कार्य इस प्रकार करें, ताकि हमें उचित रूप से विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से रहित हैं। सम्प्रेक्षण जो परख जांच के आधार पर किया जाता है, में इसका भी समावेश होता है कि वित्तीय विवरणों में इंगित की गयी धनराशियों के समर्थित साक्ष्य एवं प्रकट किये गये तथ्यों की जांच सम्मिलित होती है। ऐसे सम्प्रेक्षण में प्रयोग में लाये गये लेखीय सिद्धान्तों एवं प्रबन्धन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों की जांच एवं वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण भी सम्मिलित है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया सम्प्रेक्षण हमारे अभिमत का उचित आधार प्रस्तुत करता है।	कोई टिप्पणी नही।
3.	वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के वार्षिक लेखे अंशधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत/विचारित/अंगीकृत नही किये गये, परन्तु बकाया लम्बित लेखों को अद्यतन पूरा करने के सम्बंध में सी.एण्ड ए.जी. के कार्यालय से जारी स्पष्टीकरण के सन्दर्भ में वर्ष 2010–11 के लेखो पर सम्प्रेक्षक की रिपोर्ट, वार्षिक सामान्य बैठक में पिछले वर्ष लेखों का अनुमोदन/अंगीकरण लम्बित रहते हुए निर्गत किया जा रहा हैं।	वित्तीय वर्ष 2008–09 के वार्षिक लेखे दिनांक 09–04–2013 को सम्पन्न अंशधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक में प्रस्तुत किये गये तथा यह अनुमोदित एवं अंगीकृत है।
4.	जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी (सम्प्रेक्षक रिपोर्ट) आदेश,	कोई टिप्पणी नही।

	2003 द्वारा अपेक्षित है, हम कथित आदेश के प्रस्तर 4 एवं 5 में निर्दिष्ट प्रकरणों पर एक विवरण अनुलग्नक में सलंग्न कर रहे हैं।	
5.	(अ) कोष एवं आधिक्य में वर्ष के अन्त तक पुनर्संरचना खाते के रूप में रु. 180.72 करोड़ का अवशेष सम्मिलित है। यह दिनांक 01.04.2007 को पुस्तकों के अनुसार परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के खण्डवार संकलित अवशेषों तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना सं. 2974/XXIV–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के माध्यम के अधिसूचित अन्तरण योजना में दर्शाये गये अवशेषों के मध्य अन्तर से सम्बंधित है। कथित अनन्तिम अंतरण योजना का अन्तिमीकरण अभी लम्बित है, जिसके कारण वित्तीय विवरणों में दर्शाये गये परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के अवशेषों की स्थिति परिवर्तित हो सकती है (अनुसूची–21–ब की टिप्पणी सं. 1 का सन्दर्भ लें)	उ.प्र. सरकार द्वारा अन्तरण योजना के अन्तिमीकरण के अनुसार लेखों में तदनुसार आवश्यक समायोजन जैसा आवश्यक होगा, किये जायेंगे।
	(ब) अनुसूची–21–ए की लेखीय नीति संख्या–5 के अनुसार वर्ष के पारेषण राजस्व को ऊर्जा के अन्तर राजीय पारेषण के लिए उ.प्र. वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित दर सूची के आधार पर रु. 0.126 प्रतियूनिट की दर से मान्यता दी गई है। अग्रेतर उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित पारेषण दर सूची में अन्तर जैसाकि ऊपर वर्णित है एवं निर्धारित दर सूची एवं वर्ष के लिए सम्प्रेक्षित लेखों पर अनुमोदित और उ.प्र.वि.वि.आ. को प्रस्तुत ट्रू–अप याचिका का लेखांकन, उ.प्र.वि.नि.आ. के निर्णय के आधार किया जाएगा।	कोई टिप्पणी नही।
	(स) चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों असंरक्षित ऋणों, चालू दायित्वों के अन्तर्गत अवशेषों, डिस्कामों आदि के अवशेषों को सम्मिलित करते हुए, भण्डार सामग्री पारगमन में/निरीक्षण के अन्तर्गत/ठेकेदारों/निर्माणकर्त्ताओं आदि के पास पुष्टीकरण, समाशोधन एवं परिणामी समायोजन की शर्ताधीन है यदि कोई हो। पर्याप्त सूचना के अभाव में हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ है कि यह अवशेष वसूली योग्य है या नही है तथा अनुसूची–21 बी की टिप्पणी संख्या 3 (अ) (ब) तथा (स) के अनुसार इनके लिए जो प्राविधान किये गये है वह पर्याप्त है या नही।	अवशेष समाधान के अन्तर्गत हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व में ही आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं। समाधान प्रक्रियाधीन है।

	(द) चालू दायित्वों एवं प्राविधानों में रु. 18.11 करोड़ 'अन्तर इकाई हस्तांतरण' के रूप में सम्मिलित है जोकि अन्तर इकाई लेनदेनों के असमाधानित अवशेषों का प्रतिनिधित्व करते है। जैसाकि प्रबन्धन द्वारा सूचित किया गया है, अन्तर इकाई खातों का समाधान प्रक्रियाधीन है।	समाधान प्रक्रिया के अन्तर्गत है।
	(य) सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उद्यमों को देय बकाया जैसा कि एम.एस.एम. ई.डी. अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत परिभाषित है, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग–1 के अनुसार प्रकट नहीं किया गया तथा कम्पनी के पास पर्याप्त सूचना के अभाव में इन अवशेषों पर देय ब्याज की मान्यता वित्तीय विवरणों में नहीं दी गयी (अनुसूची –21 ब की टिप्पणी संख्या 7 का सन्दर्भ लें)।	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत) को देय धनराशि सुनिश्चित नहीं की जा सकी तथा उस पर ब्याज के लिए प्राविधान सम्बंधित पर्याप्त सूचना के अभाव में नहीं किया जा सका। यद्यपि कम्पनी पर्याप्त सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।
	(र) यह पाया गया कि पक्षवार सहायक लेजरों के रखरखाव की पद्धति तथा प्राथमिक लेखा पुस्तकों के साथ इनके मिलान की प्रक्रिया पर्याप्त व प्रभावी नही है।	प्राथमिक लेखा पुस्तकों से विधिवत मिलान करते हुए पक्षवार सहायक लेजरों के रख–रखाव करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
	(ल) अनुसूची 21 ब की टिप्पणी संख्या 20 (अ) एवं 20 (ब) में इंगित आकस्मिक दायत्वों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा जैसा विवरण उपलब्ध कराया गया उस पर हमारे द्वारा विश्वास कर लिया गया।	कोई टिप्पणी नही।
	(व) पारेषण पूर्व (इलाहाबाद) की शाखा सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुसार– (i) कोड 28.108 में धनराशि रु. 21865120.50 में रु. 12200800.00 एवं रु. 2470720.00 दोनों क्रमशः पी.जी.सी.आई.एल. वे वाराणासी एवं मऊ इकाई के परि. एवं अनु. प्रभारों से सम्बन्धित, सम्मिलित है जिसके सम्बंध में पी.जी.सी.आई.एल. से अनुबन्ध/पुष्टि सम्प्रेक्षकों को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।	बिन्दु के पुष्टीकरण में आगामी सम्प्रेक्षा को अनुबन्ध उपलब्ध करा दिया जायेगा।
	(ii) पूँजीगत प्रगतिशील कार्य (कोड–14) में इटलू (काफी लम्बी अवधि से अप्रचलित इकाई) से सम्बंधित अवरूद्ध धनराशि रु. 62817411.69 सम्मिलित है। प्रबन्धन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रकरण समाधान के अन्तर्गत है।	समाशोधन के पश्चात आवश्यक लेखांकन वि. वर्ष 2011–12 के लेखों में कर दिया गया है।
	(iii) विद्युत पारेषण खण्ड–II द्वारा क्रय की गई भूमि के अधिकार विलेख क्रेता का नाम इंगित नहीं करते हैं यथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि.। अग्रेतर भूमि राजस्व में नामांतरण अभी किया जाना है।	प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बंधित क्षेत्र को आवश्यक निर्देश पूर्व में ही निर्गत कर दिये गये है।

	(iv)	रोकड़ एवं बैंक अवशेषों (अनुसूची–8) में रु. 80000.00 की बैंक सावधि जमा शामिल है जिसके विवरण कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है एवं जिसके लिए कोई प्राविधान नही किया गया। जैसाकि उपलब्ध नही है एवं जिसके लिए कोई प्रविधान नहीं किया गया। जैसा कि प्रबन्धन द्वारा सूचित किया गया कि गुम हुई सावधि जमा के सम्बन्ध में छानबीन प्रक्रिया में है।	बैंक में सावधि जमा धनराशि रु. 80.000/– का प्रकरण जाँच के अन्तर्गत है। जाँच के पश्चात प्राविधान/समायोजन जैसा आवश्यक हुआ, आगामी वर्ष में सुनिश्चित किये जायेगे।
	(श)	कम्पनी की किताबों में, 31 मार्च, 2011 को उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पास अवशेष रु. 15.12 करोड़ के है (अनुसूची–11 चालू दायित्वों एवं प्राविधानों में दर्शाये गये) जबकि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के सम्प्रेक्षित खातों के अनुसार उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० से प्राप्य अवशेष रु. 49.63 करोड़ है (अनुसूची–10 अन्य चालू परिसम्पत्तियों में दर्शाये गये)। यह अन्तर रु. 34.51 करोड़ का है जोकि समाधान एवं अनुवर्ती समायोजनों की शर्ताधीन है।	अवशेषों का समाधान प्रक्रिया के अन्तर्गत है और आवश्यक लेखांकन आगामी वर्ष के लेखों में किये जायेगे।
	(ष)	वर्ष के दौरान पूर्व वर्षो में अवकाश नकदीकरण के सापेक्ष सकल धनराशि रु. 35.08 करोड़ के प्राविधान पारेषण पूर्व (इलाहाबाद) में वापस लिये गये है जोकि अनुसूची 21 अ की लेखीय नीति संख्या 7 (ब) के अनुसार किया गया है।	कोई टिप्पणी नही।
6.	(अ)	भण्डार सामग्री का मूल्यांकन लागत पर किया गया है और नाकि ''लागत से कम मूल्य पर या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर'' जैसाकि लेखीय मानक (ले. मा.)–2 ''भण्डार सामग्री का मूल्यांकन'' द्वारा आपेक्षित है। (अनुसूची–21–अ की लेखीय नीति सं. 4 का सन्दर्भ लें)	कारपोरेशन केवल स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए भण्डार सामग्री का रख–रखाव कर रहा है। कारपोरेशन के पास कोई तैयार माल यथा विद्युत की भण्डार सामग्री नही हैं। अतः भण्डार सामग्री का मूल्यांकन ले.मा.–2 के प्राविधान का उल्लंघन नही करता है।
	(ब)	ऊर्जा के पारेषण/मुक्त उपगम से अन्तर राज्यीय पारेषण के सम्बन्ध में राजस्व की मान्यता नकद आधार पर है जोकि लेखीय मानक (ले.मा.)–9 ''राजस्व मान्यता'' के अनुरूप नही है (अनुसूची–21 अ की लेखीय नीति 5ब का सन्दर्भ लें)।	जैसाकि सम्प्रेक्षा द्वारा वर्णित किया गया ऊर्जा का पारेषण/मुक्त उपगम से अन्तर राज्यीय पारेषण के सम्बन्ध में राजस्व मान्यता हमारी नीति संख्या 5 (ब) के अनुसार नकद आधार पर दी गयी है।
	(स)	पूर्ण हुई परियोजनाओं पर प्रगतिशील पूँजीगत कार्यो पर हुए व्यय को स्थानांतरित करके पूँजीकृत कर लिया गया है। परियोजना की लागत को सम्बंधित अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता द्वारा सत्यापित किया जाता है। कार्यकारी इकाइयों की बहुल्यता के कारण एवं साथ ही साथ इकाई विशेष पर कार्यो की विविधता के कारण कर्मचारी लागत एवं सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों को पूँजीगत	जैसा कि ''महत्वपूर्ण लेखीय नीतियों'' के बिन्दु सं. 2 (य) पर वर्णित है कि कार्यकारी इकाइयों की विविधता साथ ही साथ इकाई विशेष पर कार्यो की विविधता के कारण कर्मचारी लागत एवं प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों का पूँजीकरण उचित विचारित दरों पर पूँजीगत कार्यो को आवंटित किया जाता है।

	कार्यो पर हुए कुल व्यय के आधार पर पूँजीगत किया जाता है। (अनुसूची–21 अ की लेखीय नीति 2 (ई) का सन्दर्भ लें) यह अप्रत्यक्ष व्ययों को पूँजीकरण करने की पद्धति लेखीय मानक–10 'स्थायी परिसम्पत्तियाँ'' का लेखांकन में दिये गये प्रतिपादन के अनुसार नही है।	
	(द) अवकाश नकदीकरण का लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त एवं अनुमोदित दावों के आधार पर किया जाता है और नाकि बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर (अनुसूची–21 ब की टिप्पणी से. 13 (ब) एवं अनुसूची–21 अ की लेखीय नीति सं. 7 (ब) का सन्दर्भ लें) अग्रेतर, कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेंशन एवं ग्रेंच्युटी के लिए प्राविधान बीमांकक मूल्यांकन दिनांक 09–11–2000 के आधार पर किया गया है (अनुसूची–21 अ की लेखीय नीति सं. 7 (अ) एवं अनुसूची–21 ब की टिप्पणी सं. 13 (अ) का सन्दर्भ लें)। इन कर्मचारी हितलाभों का लेखांकन लेखीय मानक (ले.मा.) 15 ''कर्मचारी हित लाभ'' (पुनरीक्षित 2005) में निर्दिष्ट प्रतिपादन के अनुसार नहीं है।	अवकाश नकदीकरण हमारी नीति के अनुसार लेखांकित किया जाता है पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिए प्राविधान बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है जैसाकि लेखों पर टिप्पणियोंके बिन्दु सं. 13 (अ) पर प्रकटित है। फिर भी यह सूचित करना है कि बीमांकक मूल्यांकन कार्य मेसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम को सुपुर्द किया गया था। चूंकि जीवन बीमा निगम ने अभी तक अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, इसलिये हमने स्वतंत्र प्रमाणित बीमांकक से ई.ओ.आई. आमन्त्रित की है।
	(य) पूँजीगत परिसम्पत्तियों को निर्माण अवस्था के दौरान उधारी लागत वर्ष के प्रगतिशील पूँजीगत कार्यो के औसत अवशेष पर प्रभाजित हैं। (अनुसूची–21 अ की लेखीय नीति से 2 (एफ) का सन्दर्भ लें)। अग्रेतर, निश्चित परिसम्पत्तियों जो अर्हता प्राप्त सम्पत्तियाँ नहीं है क्योंकि ये तैयार होने में पर्याप्त समयावधि नही लेती है, पर भी ब्याज पूँजीकृत है। हमारे अभिमत में, स्थायी परिसम्पत्तियों पर उधारी लागत को पूंजीकरण करने की यह विधि लेखीय मानक (ले.मा.) 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप नही हैं।	लेखीय मानक–16 की प्रस्तावना के अनुसार यह वर्णित है कि अर्हता प्राप्त सम्पत्ति के अर्जन, निर्माण अथवा उत्पादन को आरोप्य प्रत्यक्ष उधारी लागत की धनराशि जो भी हो, का निर्धारण कठिन है, ऐसे प्रकरण में निर्णय के प्रयोग की आवश्यकता होती है और परिसम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों की श्रेणी, जिन पर उधारी धनराशि विनियोजित है, को चिन्हित करना कठिन है, जिसकी उधारी लागत को विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखा) नियम, 1985 के प्राविधानों के अनुरूप निगम ने पूँजीकृत किया है।
	(र) अनुसूची–21 ब की टिप्पणी सं.–17 के सन्दर्भ में अपर्याप्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लेखीय मानक–22 ''आय पर टैक्स का लेखांकन'' के अनुसार आस्थगित करके लेखांकन पर पर्याप्तता या अन्यथा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	आस्थगित कर सम्पत्तियों के लेखांकन पर विवेक के आधार पर लेखों में विचार नहीं किया गया, क्योंकि निकट भविष्य में कम्पनी रु. 1036.34 करोड़ की अविलयन संचयी हानियों के कारण आय की उपलब्धता के सम्बंध में निश्चित नही है।
	(ल) परिसम्पत्तियों के क्षरण के सम्बन्ध में प्रबन्धन का मत सम्बन्धित सूचना द्वारा समर्थित नही है अतः हम लेखीय मानक (ले.मा.) 28 के प्राविधान के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। अनुसूची–21 ब की टिप्पणी सं.–18 का सन्दर्भ लें)	जहां तक परिसम्पत्तियों के क्षरण का प्रश्न है आई.सी.ए.आई. के लेखीय मानक–28 द्वारा, जैसा विचारित है, आर्थिक चिट्ठा की तिथि को किसी परिसम्पत्ति के क्षरण की कोई विशेष सूचना नहीं है। अग्रेतर, उल्लेखनीय है कि निगम की परिसम्पत्तियाँ उनकी ऐतिहासिक लागत पर लेखांकित हैं और उनमें से अधिकांश बहुत पुरानी हैं जहाँ परिसम्पत्तियों का क्षरण बहुत ही असम्भाव्य है।
7.	पूर्ण सूचना के अभाव में इस रिपोर्ट के संलग्नक के प्रस्तर 4 एवं 5 में हमारे द्वारा की गयी आपत्तियों का कम्पनी के लेखों पर संचयी प्रभाव अभिनिश्चित नही है।	कोई टिप्पणी नही।
8.	प्रबन्धन द्वारा कम्पनी के अन्तिम खाते, शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित कम्पनी की शाखाओं (क्षेत्रों) के तलपटों के आधार पर संकलित किये गये	कोई टिप्पणी नही।

	हैं। तुलन पत्र एवं लाभ एवं हानि खाता शाखा स्तर पर तैयार नही किये जाते है जोकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 का उल्लंघन है।	
9.	हमारे अभिमत में, हमारे सम्प्रेक्षा के लिये उचित एवं पर्याप्त नियत विवरण उन शाखाओं से प्राप्त हो गये हैं जिनका निरीक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया। शाखा सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रसारित की गयी और उन पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से विचार किया गया।	कोई टिप्पणी नही।
10.	कम्पनी क्रिया–कलापों के विभाग के परिपत्र सं. 8/2002 के सन्दर्भ में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता के प्राविधान कम्पनी पर लागू नही हैं।	कोई टिप्पणी नही।
11.	सपठित प्रस्तर 3 में हमारी टिप्पणियों एवं उपर्युक्त प्रस्तर 5 से 8 में एवं सन्दर्भित अनुलग्नक के प्रस्तर 4 में दी गयी हमारी आपत्तियों के प्रतिबन्धाधीन हम सूचित करते है कि :	कोई टिप्पणी नही।
	(अ) हमने अपने सम्प्रेक्षण के उद्देश्य से सिवाय उनके जो ऊपर इंगित हैं, सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं, जो कि हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।	कोई टिप्पणी नही।
	(ब) हमारे अभिमत में, कम्पनी ने विधि सम्मत सभी उचित लेखा पुस्तकों का रख–रखाव किया है जैसा कि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के परीक्षण से स्पष्ट होता है।	कोई टिप्पणी नही।
	(स) इस रिपोर्ट द्वारा विचारित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता, रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों तथा क्षेत्रों से प्राप्त सम्प्रेक्षित विवरणों से मेल खाते हैं।	कोई टिप्पणी नही।
	(द) हमारे अभिमत में इस रिपोर्ट द्वारा विचारित आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में संदर्भित लेखीय मानक का अनुपालन करते हैं।	कोई टिप्पणी नही।
	(य) हमारे अभिमत में तथा पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित लेखे सपठित लेखीय नीतियां एवं अनुसूची–21 अ एवं 21 ब में सन्दर्भित टिप्पणियां कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखीय सिद्धान्तों की अनुरूपता में यथार्थ एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं –	कोई टिप्पणी नही।
	(अ) आर्थिक चिट्ठे के मामले में दिनांक 31.03.2011 को कम्पनी के क्रिया–कलापों की स्थिति।	कोई टिप्पणी नही।
	(ब) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के मामले में हानि की स्थिति एवं	कोई टिप्पणी नही।
	(स) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में रोकड़ प्रवाह की स्थिति।	कोई टिप्पणी नही।

ए.के. गुप्ता
महाप्रबन्धक (लेखा)

एस.के. अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष की वैधानिक सम्प्रेक्षक की रिपोर्ट के संलग्नक पर प्रबन्धन के उत्तर

वैधानिक सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक			प्रबन्धन का उत्तर
(उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट में सन्दर्भित अनुलग्नक) ऐसे परीक्षण जैसा कि हमने लागू करना उचित समझा, मुख्यालय के सम्प्रेक्षण के दौरान प्रबन्धन द्वारा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा अन्य सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित चार पारेषण क्षेत्रों की सम्प्रेक्षक रिपोर्ट के आधार पर हम निम्नवत सूचित करते हैं:–			
I	अ	कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं उनकी अवस्थिति सम्बन्धी पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।	स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं स्थली स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए स्थायी परिसम्पत्तियों के रजिस्टर के रख–रखाव एवं अद्यतन रखने के सम्बन्ध में सम्बंधित क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।
	ब	कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नही किया है, अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण विसंगति थी अथवा नही।	सम्बंधित क्षेत्र को भौतिक सत्यापन के सम्बंध में आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
	स	कम्पनी ने वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्ति के किसी महत्वपूर्ण भाग का निस्तारण नही किया है।	कोई टिप्पणी नही।
	द	पारेषण पश्चिम (मेरठ) की शाखा सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुसार पूँजीगत प्रगतिशील कार्यो को इकाइयों से अन्तिम पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थायी परिसम्पत्तियों को हस्तांतरण कर दिया गया है।	सम्बंधित क्षेत्र को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
II	अ	प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार वर्ष के दौरान प्रबन्धन द्वारा भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे अभिमत में भण्डार की प्रकृति एवं अवस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है।	कोई टिप्पणी नही।
	ब	प्रबन्धन द्वारा अपनायी गयी भण्डार सामग्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया उचित है तथा कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के सन्दर्भ में पर्याप्त है, सिवाय पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद के जहां इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।	सम्बंधित क्षेत्र को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

	स	हमारे अभिमत में कम्पनी भण्डार सामग्री के उचित अभिलेखों का रख–रखाव कर रही है। सिवाय पारेषण (पूर्व) क्षेत्र। जहां कहीं भौतिक सत्यापन में महत्वपूर्ण विसंगतियां इंगित की गयी हैं, उन्हें लेखा पुस्तकों में उचित रूप से कार्यान्वित किया गया है सिवाय पारेषण पूर्व क्षेत्र के।	सम्बंधित क्षेत्र को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
III	अ	जैसा कि प्रबन्धन द्वारा हमें स्पष्ट किया गया है कि कम्पनी ने किसी कम्पनी फर्म या अन्य पक्षों जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर से आवरित है, को कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित स्वीकृत नही किये हैं।	कोई टिप्पणी नही।
	ब	उपर्युक्त प्रस्तर (III) (अ) के परिपेक्ष्य में आदेश के प्रस्तर सं. (III) (बी) (सी) एवं डी लागू नहीं हैं।	कोई टिप्पणी नही।
	स	कम्पनी ने कम्पनी फर्मों या अन्य पक्षों, से जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर से आवरित हैं, से कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित नही लिया है।	कोई टिप्पणी नही।
	द	उपर्युक्त प्रस्तर (III) (स) के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी आदेश, 2000 के प्रस्तर के (III) (एफ) एवं (जी) लागू नही है।	कोई टिप्पणी नही।
IV		हमारे अभिमत में एवं हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी में पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण पद्धति है, जो कम्पनी के आकार तथा भण्डार सामग्री एवं स्थायी परिसम्पत्तियों के क्रय के लिए इसके व्यवसाय की प्रकृति एवं सेवाओं की बिक्री के लिए अनुरूप है सिवाय इसके :–(1) पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद में उप ठेकेदारों एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये किसी कार्य विशेष के लिये निक्षेप कार्य एवं अन्य कार्यो से सम्बंधित व्यय का लेखांकन।(2) पारेषण(पूर्व) इलाहाबाद मे भण्डार सामग्री के निरीक्षण/सत्यापन अग्रिमों के समायोजन एवं सामग्री प्राप्ति। उपर्युक्त की शर्ताधीन आन्तरिक नियन्त्रण में मुख्य कमियों के निवारण हेतु निरन्तर रही असफलता हमारे संज्ञान में नही आयी।	सम्बंधित क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
V	अ	हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि ऐसे कोई ठेके या व्यवस्था नही है जिसका विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में अंकित करना आवश्यक हो।	कोई टिप्पणी नही।
	ब	उपर्युक्त (V) (अ) के परिप्रेक्ष्य में आदेश का प्रस्तर (V) (ब) लागू नही है।	कोई टिप्पणी नही।
VI		कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर एवं हमें दी	कोई टिप्पणी नही।

		गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारे मत में कम्पनी ने कोई सार्वजनिक ऋण या निक्षेप स्वीकार नहीं किये है।	
VII		कम्पनी में चार्टर्ड एकाउन्टेट की फर्मों द्वारा इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए एक आन्तरिक सम्प्रेक्षा पद्धति है। मुख्यालय पर कोई आन्तरिक सम्प्रेक्षण पद्धति नही है। अग्रेतर, पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद में क्षेत्रीय इकाइयों की जांच परख के लिये अवधि सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि इसे व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप बनाया जा सके। पारेषण (पूर्व) एवं पारेषण (दक्षिण) की आन्तरिक सम्प्रेक्षा के अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किये गये।	प्रबन्धन ने सम्प्रेक्षकों की टिप्पणियों को संज्ञान में लिया है और यथा समय आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
VIII		कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अन्तर्गत निर्दिष्ट लागत लेखों का रख–रखाव कम्पनी द्वारा सम्प्रेक्षाधीन वर्ष में नही किया गया है।	अभिलेखों का रख–रखाव किया जाता है एवं लागत सम्प्रक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित है।
IX	अ	हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टकरणों के अनुसार कम्पनी, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उपकर एवं अन्य किसी वैधानिक देयों के साथ अविवादित वैधानिक देयों को उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में सामान्यतः नियमित है, यद्यपि तुलन पत्र की तिथि को 6 माहों से अधिक से फ्रिन्ज बैनीफिट टैक्स से सम्बंधित बकाया अविवादित दायित्व रुपये 378134/- के है। यह पाया गया है कि भविष्य निधि एवं उ.प्र. विद्युत क्षेत्र कर्मचारियों ट्रस्ट को भुगतान मासिक आधार पर नही किया जाता है। अग्रेतर स्रोत पर आयकर की कटौती एवं जमा एवं स्रोत पर व्यापार कर का अनुपालन उचित रूप से नहीं किया गया और वैट विवरण पारेषण (पश्चिम) की कुछ इकाइयों द्वारा जमा नही किये गये जैसाकि यूपी वैट एक्ट 2008 के अन्तर्गत आवश्यक थे।	उ.प्र. विद्युत क्षेत्र कर्मचारी ट्रस्ट को भविष्य निधि अंशदान का भुगतान मार्च, 2010 से मासिक जमा के आधार पर किया जा रहा है। सम्बन्धित क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
	ब	जैसाकि प्रबन्धन द्वारा हमें सूचित किया गया है कि ऐसे कोई देय नही हैं, जिन्हें किसी विवाद के कारण जमा नही किया गया हो।	कोई टिप्पणी नही।
X		कम्पनी 5 वर्षों से अधिक के लिए पंजीकृत की गयी है, इसकी संचयी हानियाँ इसके शुद्ध मूल्य से 50 प्रतिशत से अधिक है और इसे चालू वित्तीय वर्ष एवं ऐसे वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष में, कोई नकद हानियाँ नही की हैं।	कोई टिप्पणी नही।
XI		हमें दी गई सूचना या स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय संस्थाओं या बैंक या ऋणपत्र धारकों के देयों के पुनर्भुगतान में कोई चूक नही की है।	कोई टिप्पणी नही।

XII	कम्पनी ने अंशपत्रों, ऋण पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों के रेहन द्वारा प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत नही किये हैं।	कोई टिप्पणी नही।
XIII	कम्पनी, चिट फण्ड/निधि/पारस्पारिक लाभ निधि/समितियाँ नहीं है, अतः आदेश का प्रस्तर (XIII) लागू नही है।	कोई टिप्पणी नही।
XIV	कम्पनी अंशपत्रों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों और अन्य विनियोगों में व्यापार नही करती है, अतः आदेश का प्रस्तर (XIV) लागू नही है।	कोई टिप्पणी नही।
XV	जैसा कि हमें सूचित किया गया है कम्पनी ने अन्य पक्षों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों के लिये कोई प्रत्याभूति नही दी है।	कोई टिप्पणी नही।
XVI	हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऋण निधियों का उपयोग उन्ही उद्देश्यों के लिये किया गया, जिनके लिए ऋण प्राप्त किये गये थे, क्योंकि लेखे इस प्रकार से नहीं रखे गये हैं, जिससे ऋण निधियों के अन्ततः प्रयोग के सम्बन्ध में तत्काल चिन्हीकरण हो सके। परन्तु प्रबंधन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण निधियों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया, जिनके लिए प्राप्त किये गये थे।	कोई टिप्पणी नही।
XVII	हम टिप्पणी करने में असमर्थ है कि अल्पावधि आधार पर प्राप्त की गई निधियों का उपयोग दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए नही किया गया है चूंकि लेखों का रख रखाव इस प्रकार से नही किया जाता है जिससे ऋण निधियों के अन्ततः प्रयोग के सम्बन्ध में तत्काल चिन्हीकरण हो सके।	अल्पावधि आधार पर प्राप्त की गयी निधियाँ, दीर्घावधि उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं की गयी।
XVIII	कम्पनी ने कोई अधिमान अंशपत्रों की धारा 301 के अन्तर्गत आवरित पक्षों को आवंटन नही किया है। अतः आदेश का प्रस्तर (XVIII) लागू नही है।	कोई टिप्पणी नही।
XIX	कम्पनी ने कोई ऋणपत्र निर्गत नहीं किये हैं इसलिए आदेश का प्रस्तर (XIX) लागू नही है।	कोई टिप्पणी नही।
XX	कम्पनी ने सार्वजनिक निर्गम द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नही की है, अतः आदेश का प्रस्तर (XX) लागू नही है।	कोई टिप्पणी नही।
XXI	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कोई धोखा–धड़ी कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के विरूद्ध नही की गयी।	कोई टिप्पणी नही।

ए.के. गुप्ता
महाप्रबन्धक (लेखा)

एस.के. अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उत्तर प्रदेश
छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर 'एच' अलीगंज, लखनऊ–226 024

स्पीड पोस्ट/गोपनीय

पत्रांक म.ले. (इ. एण्ड आर.एस.ए.)/ई.एस.–11/लेखा/यू.पी.पा.ट्रां.का.लि./2010-11/608 दिनांकः 01.07.2013

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

महोदय,

एतत्सह कम्पनी, अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टीका–टिप्पणियां कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(5) के निबन्धनों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही हैं। कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टीका–टिप्पणियों के प्रस्तुत किये जाने की वास्तविक तिथि की सूचना दें।

सम्प्रेक्षी द्वारा प्रस्तुत एवं उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है। सम्प्रेक्षी के स्तर पर किसी गलत सूचना तथा/या सूचना न देने के लिए कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उत्तर प्रदेश कोई दावा अस्वीकार करता है।

कृपया पत्र की पावती भेजने का कष्ट करें।

भवदीया,

सहपत्र– यथोपरि।

डॉ0 स्मिता एस0 चौधरी

महालेखाकार

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित कार्य ढांचे की वित्तीय सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तर दायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 उनकी व्यवसायिक संस्था दि इन्स्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सम्प्रेक्षण एवं विश्वास मानको के अनुरुप स्वतंत्र सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 06 फरवरी, 2013 के माध्यम से ऐसा किया गया इंगित है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अन्तर्गत, 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों का पूरक सम्प्रेक्षण किया। यह पूरक सम्प्रेक्षण, स्वतंत्र रुप से वैधानिक सम्प्रेक्षकों के तैयार किये गये कागजी ब्यौरों को ध्यान में न रख कर स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा मुख्य रूप से वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से की गयी पूछ–ताछ एवं कुछ लेखीय अभिलेखों की चुनिन्दा जांच तक ही सीमित है। मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत, मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से दर्शाना चाहूँगा जो कि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को और अधिक समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है।

तुलन पत्र

निधियों के प्रयोग

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम

विविध देनदार (अनुसूची–7) रु. 1132.48 करोड़

1. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्राविधान : रु. 17.76 करोड़

उपर्युक्त प्राविधान वर्ष 2008–09 तक की अवधि से सम्बन्धित है जिसके विरूद्ध भुगतान पूर्व में ही पूरे किये जा चुके थे।

अतः कम्पनी द्वारा पूर्व में किया गया रु. 17.76 करोड़ का प्राविधान वापस लिया जाना चाहिये था। उपर्युक्त प्राविधान के वापस न लिये जाने के परिणाम स्वरूप पूर्वावधि आय एवं विविध देनदारों को रु. 17.76 करोड़ से कम दर्शाया गया है।

2. लाभ एवं हानि खाता

व्यय

ब्याज एवं वित्तीय प्रभार (अनुसूची–17) रु. 279.43 करोड

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ऋणों पर ब्याज रु. 116.36 करोड़

उपर्युक्त में ग्रा.वि.नि. के ऋणों के विरूद्ध दिनांक 20–03–2011 से 31–03–2011 तक की अवधि के लिये बकाया ब्याज धनराशि रु. 0.39 करोड़ सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त कथित ऋण पर बकाया ब्याज का प्राविधान न किये जाने के परिणाम स्वरूप चालू दायित्वों एवं प्राविधानों और हानि दोनों को रु. 0.39 करोड़ से कम दर्शाया गया है।

3. सामान्य :

(अ) लेखों पर टिप्पणियाँ

उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. के दिनांक 31–03–2011 को तुलनपत्र एवं इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के साथ संलग्न एवं इसके अभिन्न भाग लेखों पर टिप्पणियाँ बिन्दु सं. 14 पर निम्नवत इंगित करता है–

''उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.) में वित्तीय लेखे आडिट मुख्यालय एवं अन्य सेवारत इकाइयों के न बनाये जाने के कारण उ.प्र.पा.का.लि. के इन इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. का भी कार्य सुपुर्द किया गया। इसलिये ऐसे उ.प्र.पा.का.लि. के कर्मचारियों द्वारा दी गयी सेवाओं के लिये ऐसी इकाइयों के कर्मचारियों एवं प्रशासनिक लागत का 25 प्रतिशत वर्ष के दौरान उ.प्र.पा.ट्राका. लि. पर भारित किया गया है।''

यद्यपि, यह तथ्य महत्वपूर्ण होने के कारण कम्पनी द्वारा लेखों पर टिप्पणियाँ–अनुसूची सं.–21 में प्रकट किया जाना चाहिये था।

(ब) कम्पनी अधिनियम की धारा 383 ए की आवश्यकतानुसार एवं कम्पनीज (सचिव की योग्यता एवं नियुक्ति) नियमावली, 1988 के नियम-2 के अनुसार समस्त कम्पनियाँ जिनकी प्रदत्त पूँजी रुपये 2 करोड़ से कम नही है पूर्ण कालिक कम्पनी सचिव रखेंगे। उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. ने यद्यपि कम्पनी अधिनियम की कथित धारा का अनुपालन नही किया है एवं कम्पनी के अन्तिम खाते अंशकालिक कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किये गये है।

(स) चालू परिसम्पत्तियों बनाम चालू दायित्वों के अन्तर कम्पनी अवशेषों के समाधान न होने के कारण रुपये 57.11 करोड़ के अन्तर कम्पनी द्वारा लेखों में नही लिये जा सके।

महालेखाकार

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	सी.ए.जी. की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन के उत्तर
	कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित कार्य ढांचे की वित्तीय सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तर दायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 उनकी व्यवसायिक संस्था दि इन्स्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सम्प्रेक्षण एवं विश्वास मानको के अनुरुप स्वतंत्र सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 06 फरवरी, 2013 के माध्यम से ऐसा किया गया इंगित है।	कोई टिप्पणी नही।
	मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अन्तर्गत, 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों का पूरक सम्प्रेक्षण किया। यह पूरक सम्प्रेक्षण, स्वतंत्र रुप से वैधानिक सम्प्रेक्षकों के तैयार किये गये कागजी ब्यौरों को ध्यान में न रख कर स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा मुख्य रूप से वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से की गयी पूछ–ताछ एवं कुछ लेखीय अभिलेखों की चुनिन्दा जांच तक ही सीमित है। मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत, मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से दर्शाना चाहूँगा जो कि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को और अधिक समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है।	कोई टिप्पणी नही।
	तुलन पत्र **निधियों के प्रयोग** **चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम** **विविध देनदार (अनुसूची–7) रु. 1132.48 करोड़**	रुपये 17.76 करोड़ का कथित प्राविधान वापस ले लिया गया है एवं वर्ष 2011–12 में लेखांकित कर लिया गया है।

1.	**अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणोंके लिए प्राविधान : रु. 17.76 करोड़** उपर्युक्त प्राविधान वर्ष 2008–09 तक की अवधि से सम्बन्धित है जिसके विरूद्ध भुगतान पूर्व में ही पूरे किये जा चुके थे। अतः कम्पनी द्वारा पूर्व में किया गया रु. 17.76 करोड़ का प्राविधान वापस लिया जाना चाहिये था। उपर्युक्त प्राविधान के वापस न लिये जाने के परिणाम स्वरूप पूर्वावधि आय एवं विविध देनदारों को रु. 17.76 करोड़ से कम दर्शाया गया है।	
2.	**लाभ एवं हानि खाता** **व्यय** **ब्याज एवं वित्तीय प्रभार (अनुसूची–17) रु. 279.43 करोड** **ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ऋणों पर ब्याज रु. 116.36 करोड़** उपर्युक्त में ग्रा.वि.नि. के ऋणों के विरूद्ध दिनांक 20–03–2011 से 31–03–2011 तक की अवधि के लिये बकाया ब्याज धनराशि रु. 0.39 करोड़ सम्मिलित नही है। इस प्रकार उपर्युक्त कथित ऋण पर बकाया ब्याज का प्राविधान न किये जाने के परिणाम स्वरूप चालू दायित्वों एवं प्रावधानों और हानि दोनों को रु. 0.39 करोड़ से कम दर्शाया गया है।	ग्रा.वि. निगम के ऋण पर धनराशि रु. 0.39 करोड़ के ब्याज का प्राविधान वर्ष 2011–12 में कर दिया गया है।
3.	**सामान्य :** **(अ) लेखों पर टिप्पणियाँ** उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. के दिनांक 31–03–2011 को तुलनपत्र एवं इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के साथ संलग्न एवं इसके अभिन्न भाग लेखों पर टिप्पणियाँ बिन्दु सं. 14 पर निम्नवत इंगित करता है– ''उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.) में वित्तीय लेखे आडिट मुख्यालय एवं अन्य सेवारत इकाइयों के न बनाये जाने के कारण उ.प्र.पा.का.लि. के इन इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. का भी कार्य सुपुर्द किया गया। इसलिये ऐसे उ.प्र.पा.का.लि. के कर्मचारियों द्वारा दी गयी सेवाओं के लिये ऐसी इकाइयों के कर्मचारियों एवं प्रशासनिक लागत का 25 प्रतिशत वर्ष के दौरान उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. पर भारित किया गया है। यद्यपि, यह तथ्य महत्वपूर्ण होने के कारण कम्पनी द्वारा लेखों पर टिप्पणियाँ–अनुसूची सं.–21 में प्रकट किया जाना चाहिये था।	जैसाकि सम्प्रेक्षा द्वारा परामर्श दिया गया था, वर्ष 2011–12 के लेखों में आवश्यक प्रकटन कर दिया गया है।

	(ब)	कम्पनी अधिनियम की धारा 383 ए की आवश्यकतानुसार एवं कम्पनीज (सचिव की योग्यता एवं नियुक्ति) नियमावली, 1988 के नियम–2 के अनुसार समस्त कम्पनियाँ जिनकी प्रदत्त पूँजी रुपये 2 करोड़ से कम नही है पूर्ण कालिक कम्पनी सचिव रखेगे। उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. ने यद्यपि कम्पनी अधिनियम की कथित धारा का अनुपालन नही किया है एवं कम्पनी के अन्तिम खाते अंशकालिक कम्पनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किये गये है।	कम्पनी पूर्ण कालिक सचिव की नियुक्ति के लिये प्रक्रिया में है।
	(स)	चालू परिसम्पत्तियों बनाम चालू दायित्वों के अन्तर कम्पनी अवशेषों के समाधान न होने के कारण रुपये 57.11 करोड़ के अन्तर कम्पनी द्वारा लेखों में नहीं लिये जा सके।	चालू परिसम्पत्तियों/चालू दायित्वों के अन्तर कम्पनी अवशेषों के समाधान प्रक्रिया में है। अवशेषों को कम करने हेतु निर्देश निर्गत कर दिये गये है।

ए.के. गुप्ता
महाप्रबन्धक (लेखा)

एस.के. अग्रवाल
निदेशक (वित्त)